काशीपुर
महायोजना प्रारूप
2011

कुमायूँ सम्भागीय नियोजन खंड, हल्द्वानी
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तरांचल
द्वारा
विनियमित क्षेत्र एवं नगर पालिका काशीपुर
हेतु विरचित

Scanned with CamScanner

नियोजन दल

प्रभारी अधिकारी, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग	बृज बी० रतन
सहायक नियोजक	एस० के० पन्त
सहायक नियोजक	डा० आर० के० उदयन

वास्तुविद नियोजन सहायक	एस० सी० सैनी	संख्या सहायक	बी० के० भदूला
मुख्य मानचित्राकार	पी० सी० पाण्डे	सर्वेक्षण सहायक	रघुवीर सिंह
योग्य मानचित्राकार	गनेश सिंह		सीता रावत
	गीता जौहरी	वरिष्ठ लिपिक	रमेश चन्द्र
अनुरेखक	एस० डी० काण्डपाल		पी० आर० टम्टा
	प्रकाश चन्द्र		पी० सी० पाण्डे
नीलमुद्रक	चन्द्रशेखर तिवारी	आशुलिपिक	गणेश चन्द्र लौशाली

पत्रवाहक : गणेश प्रसाद, बचीराम, रहीस राम, भागीरथी देवी

कुमायूँ सम्भागीय नियोजन खण्ड,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराँचल, हल्द्वानी ।

Scanned with CamScanner

आवास, मनोरंजन व कार्य स्थलों के मध्य समय एवं भौतिक दूरी के आपसी अन्तरसम्बन्ध में सामन्जस्य स्थापित करने तथा विभिन्न भू–उपयोगों को सुव्यवस्थित मार्ग प्रणाली द्वारा सम्बद्ध कर नगर के भावी विकास को नियोजित एवं निर्देशित स्वरूप प्रदान करना है।

काशीपुर महायोजना (प्रारूप) की रूपरेखा वर्ष 1991 की 69,870 जनसंख्या को आधार मानकर वर्ष 2011 तक की भावी प्रक्षेपित जनसंख्या 1,83,000 को दृष्टिगत रखते हुए बनायी गयी है। इस वर्तमान एवं भावी जनसंख्या हेतु आवश्यक आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, यातायात तथा सामुदायिक सुविधाओं एवं सेवाओं का प्राविधान महायोजना में नियोजन सिद्धान्तों के अनुरूप किया गया है। जिससे कि यह महायोजना नगर के भावी आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ–साथ इसके सुनियोजित एवं स्वस्थ स्वरूप प्रदान करने में सार्थक हो सके ।

काशीपुर महायोजना (प्रारूप) 2011 की व्यावहारिक एवं क्रियात्मक सफलता, क्षेत्रीय नागरिकों के सहयोग पर निर्भर होगी । इसलिए महायोजना (प्रारूप) को अन्तिम रूप देने से पूर्व स्थानीय जनता की नियोजन प्रक्रिया में भागीदारिता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। इस उद्देश्य से नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराँचल ने इस क्षेत्र के विकास पर मनन हेतु स्थानीय जनप्रतिनिधियों, संस्थाओं एवं विकास से सम्बद्ध विभिन्न अभिकरणों के समक्ष महायोजना (प्रारूप) को इस आशय से प्रस्तुत किया है कि इसके समालोचनात्मक अध्ययन के उपरान्त प्राप्त बहुमूल्य सुझावों को यथासंभव समायोजित करते हुए महायोजना को अधिक ग्राह्य एवं व्यावहारिक बनाया जा सके ।

भवदीय

मई 28, 2001
देहरादून

(बृज बी0 रतन)
प्रभारी अधिकारी
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग
उत्तराँचल

Scanned with CamScanner

विषय सूची

अध्याय	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	परिचय	1
2.	जनांककीय	5
3.	आर्थिक आधार	9
4.	आवास	12
5.	उद्योग	15
6.	वाणिज्य एवं व्यापार	17
7.	कार्यालय	20
8.	सामुदायिक सुविधायें	22
9.	यातायात एवं परिवहन	25
10.	वर्तमान भू–उपयोग	28
11.	प्रस्तावित भू–उपयोग	32
12.	भू–उपयोग परिक्षेत्रीय विनियमन	38
	परिशिष्ट 1	51
	परिशिष्ट 2	52
	परिशिष्ट 3	53

Scanned with CamScanner

अध्याय –1

परिचय

1.1 भूमिका :

काशीपुर नगर कुमायूँ मण्डल के जनपद उधम सिंह नगर का एक प्रमुख तहसील मुख्यालय है। जनसंख्या की दृष्टि से हल्द्वानी नगर के बाद यह नगर कुमाऊँ मण्डल का दूसरा बड़ा नगर है। गत् दशकों में तीव्र गति से हुए औद्योगिक विकास के फलस्वरूप यह नगर मण्डल का ही नहीं अपितु प्रदेश का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक नगर के रूप में विकसित हो रहा है। यह नैनीताल जनपद के दक्षिण–पश्चिम तराई क्षेत्र की तलहटी में 29°13''उत्तरी अक्षांश तथा 78°57'' पूर्वी देशान्तर पर स्थित है। जनपद उधम सिंह नगर के मुख्यालय रूद्रपुर से यह नगर 45 कि0 मी0 एवं हल्द्वानी–काठगोदाम से 78 कि0 मी0 दक्षिण–पश्चिम व रामनगर से दक्षिण की ओर 28 कि0 मी0 की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 74 बरेली–हरिद्वार मार्ग एवं प्रादेशिक राजमार्ग संख्या 41 रामनगर–मुरादाबाद मार्ग नगर से होकर गुजरने के साथ ही यह नगर सड़क मार्ग द्वारा प्रदेश के अन्य महत्वपूर्ण नगरों से सम्बद्ध है। मुरादाबाद–रामनगर तथा लालकुँआ तक बड़ी रेल लाईन प्रारम्भ हो जाने के कारण यह नगर देश के सभी प्रमुख नगरों एवं देहरादून, लखनऊ से भी रेल यातायात द्वारा सम्बद्ध हो गया है। राष्ट्रीय महत्व के पर्यटन स्थल जिम कार्बेट नेशनल पार्क को जाने वाले जो पर्यटक इस नगर से होकर गुजरते हैं, उनमें से अधिकांश पर्यटक विश्राम के लिए रामनगर के साथ–साथ इस नगर का आश्रय लेते हैं। यहाँ पर अनेक दर्शनीय स्थल भी विद्यमान हैं, जो धार्मिक एवं पर्यटन की दृष्टि से इस नगर के महत्व को बढ़ा रहे हैं।

1.2 भौतिक स्वरूप :

काशीपुर नगर तराई क्षेत्र में स्थित होने के कारण इसका भौगोलिक स्वरूप मैदानी क्षेत्रों की भाँति है। इस नगर के पूर्व और पश्चिम में क्रमशः पत्थरी एवं ढेला नदी हैं, जिनका बहाव उत्तर से दक्षिण की ओर है जो इस क्षेत्र के ढाल एवं जल विकास को इंगित करती है। नगर के अन्य छोटे बड़े नाले इन नदियों में मिलते हैं। नगर के चारों तरफ कृषि योग्य उपजाऊ भूमि है।

1.3 जलवायु :

यह नगर तराई भावर क्षेत्र में स्थित होने के कारण यहाँ की जलवायु उष्ण शीतोष्ण है। यहाँ गर्मियों का औसतन तापमान 29.4° सेन्टीग्रेड एवं सर्दियों में न्यूनतम तापमान 4° सेन्टीग्रेड आंका गया है। यहाँ की औसतन वार्षिक वर्षा. 2583.3 मि0 मी0 आंकी गई है। यहाँ पर मुख्यतः मानसूनी वर्षा होती है। ऋतु परिवर्तन के साथ–साथ हवाओं की दिशाओं में भी परिवर्तन होना स्वाभाविक है। अप्रैल से जून तक हवायें पश्चिम उत्तर से दक्षिण पूरब की ओर एवं जुलाई से सितम्बर तक पूरब–उत्तर तथा दक्षिण – पूरब की ओर तथा अक्टूबर से दिसम्बर तक हवायें उत्तर–पूरब की ओर चलती हैं।

1.4 उद्भव एवं विकास :

काशीपुर नगर के उद्भव के सम्बन्ध में श्री बद्रीदत्त पाण्डेय द्वारा लिखित कुमाऊँ के इतिहास में जो प्रमाण उपलब्ध हैं उनके आधार पर यह विदित होता है कि काशीपुर नगर तराई भावर का सबसे पुराना एवं प्रसिद्ध नगर है। लोक विदित चीनी यात्री ह्वेनसांग यहाँ 629 ई0 पू0 आये थे। 16

Scanned with CamScanner

साल यहाँ पर ठहरने के उपरान्त 645 ई0 पू0 वे चीन लौट गये थे। ह्वेनसांग ने इस नगर का उल्लेख गोविष्णा नाम से किया है। उनके अनुसार उस समय यह नगर 2.5 मील की गोलाई में बसा था तथा वहाँ अनेक मठ मंदिर थे जिनमें हिन्दू पुजारी एवं बौद्ध लोग रहते थे। बिशप डेवर लिखते हैं कि काशीपुर को परमात्मा ने 5000 वर्ष पूर्व बनाया है जो हिन्दुओं का एक पवित्र तीर्थ स्थल है। वर्तमान में काशीपुर नगर की स्थापना कुमाऊँ के राजा देवी चन्द्र के लाट काशीनाथ अधिकारी ने अपने नाम से सन् 1639 में की थी। तदोपरान्त सन् 1745 तक उनके पौत्र यहाँ के लाट रहे थे।

काशीपुर में स्थित पुराना किला जो उज्जैन कहलाता है के निकट एक तालाब स्थित है जो द्रोणसागर के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि पाण्डवों ने अपने गुरू द्रोणाचार्य के लिए इसे बनाया था। यह तालाब 600 फुट चौकोर आकार का है तथा इसके निकट ही सती नारियों के स्मारक भी हैं। तत्समय काशीपुर में 17 मुहल्ले थे तथा कुर्मांचल के ब्राहमण–पन्त, पाण्डेय, जोशी, भट्ट, लोहनी आदि यहाँ पर बसे थे। उनके अतिरिक्त राजपूत, वैश्य आदि अनेक जातियों के लोग भी यहाँ पर निवास करते थे। अंग्रेजों के आधिपत्य के बाद वर्ष 1872 में यहाँ पर म्युनिसिपैलिटी की स्थापना हुई। वर्ष 1915 में यहाँ पर उदयराज हाईस्कूल की स्थापना हुई। इस प्रकार देशकाल की परिस्थितियों के अनुरूप इस नगर का विकास होता रहा।

1.5 भौतिक विकास :

वर्तमान समय में इसका भौतिक विकास मुख्यतः प्रमुख मार्गों के दोनों परफ पट्टिका के रूप में हुआ है। पूरब की ओर बाजपुर को जाने वाले मार्ग पर नगर से लगभग 6 कि0 मी0 दूर तक आवास विकास कालोनी, राजकीय कार्यालय, आवासीय कालोनियाँ, विभिन्न औद्योगिक संस्थान, राजकीय डिग्री कालेज, आई0 टी0 आई0, गन्ना शोध संस्थान, कपड़ा मिल तथा इण्डिया ग्लाईकोल फैक्ट्री आदि अनेक प्रकार के उद्योग, कार्यालय, संस्थाओं व आवासीय कालोनियों की स्थापना के फलस्वरूप इस दिशा में नगर का भौतिक विकास तीव्र गति से हुआ है। इसके अतिरिक्त इसी मार्ग से पश्चिम–उत्तर को जाने वाले रामनगर बाईपास मार्ग पर कुण्डेश्वरी ग्राम के पास भौतिक विकास होना प्रारम्भ हुआ है।

नगर के पश्चिम में ठाकुरद्वारा जाने वाले मार्ग पर डिजाइन सैन्टर तथा ढेला नदी के पास अनेक वृहत उद्योग जैसे स्वराज्य रबड़ फैक्ट्री, प्रकाश पिक्चर ट्यूब, सूर्या बल्ब फैक्ट्री, स्ट्राबोर्ड आदि अनेक उद्योगों के फलस्वरूप इस दिशा में भौतिक विकास को बल मिला है। इसी मार्ग से जसपुर जाने वाले मार्ग पर टायर फैक्ट्री, राईस मिल, मैनुअल फैक्ट्री की स्थापना के साथ ही नगर का भौतिक विकास कुण्डा ग्राम की सीमा तक हो गया है।

नगर के उत्तर की ओर रामनगर जाने वाले मार्ग पर जिन्दल साल्वेन्ट, पालीमोर पेपर मिल के अलावा नई–नई आवासीय कालोनियाँ विकसित हो रही हैं जिनके फलस्वरूप इस ओर भी नगर के भावी भौतिक विकास की प्रबल सम्भावनायें हैं। नगर के दक्षिण में अलीगंज़ मार्ग के किनारे–किनारे औद्योगिक इकाईयों का विकास हो रहा है। साथ ही आवासीय क्षेत्रों का विकास भी इस क्षेत्र में हो रहा है। अतः इस दिशा की ओर भी नगर का भौतिक विकास होना स्वाभाविक है।

1.6 विनियमित क्षेत्र :

यद्यपि काशीपुर में नगर पालिका की स्थापना वर्ष 1872 में हो गई थी, परन्तु नगर पालिका के गठन के उपरान्त भी इसके भौतिक विकास पर प्रभावी नियंत्रण के अभाव में नगर का विकास अनियोजित, अनियंत्रित एवं अनियमित रूप से होता रहा। नगर के समीपवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों से रोजगार एवं व्यवसाय हेतु ग्रामीण जनसंख्या का प्रचुर मात्रा में आव्रजन हुआ तथा उनके प्रवास के लिए अनेक नई–नई आवासीय बस्तियों,

Scanned with CamScanner

कालोनियों तथा मोहल्लों का अनियोजित ढंग से विकास हुआ है। यहाँ के निवासियों की दैनिक उपयोग की वस्तुओं को प्रदान करने के लिए इन्हीं क्षेत्रों में फुटकर स्वरूप के व्यावसायिक केन्द्रों का भी स्वतः जन्म हुआ। अधिक जनसंख्या भार के कारण समुचित सामुदायिक सुविधाओं एवं सेवाओं पर दबाव बढ़ता गया। परिणामस्वरूप नगर की बढ़ती हुई जनसंख्या को समाहित करने के लिए नगर का क्षैतिज एवं उर्ध्व विकास तीव्र गति से हो रहा है। तथा बढ़ी हुई जनसंख्या के अनुपात में जन सामान्य की आवश्यक मूलभूत सेवाओं एवं सामुदायिक सुविधाओं तथा सुव्यवस्थित खुले स्थानों/पार्कों को वर्तमान में उपलब्ध कराना संभव नहीं हो सका है। नवीन आवासीय क्षेत्र अनियंत्रित भौतिक विस्तार के फलस्वरूप ऐसे बस्तियों में परिवर्तित हो चुके हैं कि जिनमें वर्तमान समय में पर्याप्त सामुदायिक सुविधाओं एवं सेवाओं के प्रयोजन हेतु व्यवस्थित खुल स्थानों का अभाव हो चुका है। इन आवश्यक सुविधाओं एवं आवश्यकताओं का प्राविधान कराना भौतिक रूप से एक कठिन व चुनौतीपूर्ण कार्य हो गया है। सभी आवासीय क्षेत्र विकसित होने के साथ–साथ एक प्रकार की मलिन बस्तियों का स्वरूप लेते जा रहे हैं।

इसी प्रकार नगर के वर्तमान औद्योगिक विकास, जो मुख्यतः मार्गों के किनारे अनियोजित रूप से हुआ है, में भी प्रभावी नियंत्रण के अभाव में वाहनों की पार्किंग, माल की लोडिंग–अनलोडिंग, औद्योगिक वेस्ट डिस्पोजल एवं इससे सम्बन्धित प्रदूषण की समस्यायें काशीपुर के नगरीय स्वरूप के सन्दर्भ में अत्यन्त ही प्रासंगिक एवं ज्वलन्त हो गयी हैं। गत् दशकों में इस प्रकार के बढ़ते हुए अनियंत्रित एवं अनियोजित भौतिक विकास को नियोजित एवं नियंत्रित करने एवं भावी विकास को एक निर्देशित दिशा प्रदान करने के उद्देश्य से शासन ने अपनी विज्ञप्ति संख्या 3830/9–आ–91–6–आर0ए0–91 लखनऊ 19 जून 1992 के द्वारा काशीपुर नगर पालिका क्षेत्र तथा इसके सनिकट 36 ग्रामों को सम्मिलित करते हुए विनियमित क्षेत्र घोषित किया है। इस क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 9823.32 हैक्टेयर है। जिसमें नगर पालिका परिषद का क्षेत्रफल 541.00 हैक्टेयर तथा विनियमित क्षेत्र के अन्तर्गत सम्मिलित ग्रामीण क्षेत्र का 9282.32 हैक्टेयर क्षेत्रफल सम्मिलित है।

1.7 विनियमित क्षेत्र की सीमा :

काशीपुर विनियमित क्षेत्र की विभिन्न दिशाओं में सीमा निम्न प्रकार है।

1. उत्तर की ओर रामनगर मार्ग पर लगभग 6 किमी की दूरी तक ग्राम मानपुर एवं रामपुर मार्ग की उत्तरी सीमा तक का क्षेत्र।

2. पूरब में बाजपुर मार्ग पर लगभग 7 कि0 मी0 तक साँडखेड़ा, जैतपुर घोसी वाला, कुण्डेश्वरी, गंगापुर गोसाई ग्राम की सीमा का क्षेत्र।

3. दक्षिण में अलीगंज जाने वाले मार्ग पर ग्राम बाँस खेड़ा खुर्द की सीमा तक का क्षेत्र।

4. पश्चिम दिशा में जसपुर जाने वाले मार्ग पर ग्राम लालपुर एवं कुण्डा की पश्चिमी सीना तक तथा इसी ओर ठाकुरद्वारा जाने वाले मार्ग पर लगभग 7 कि0 मी0 की दूरी तक शाहगंज एवं बसई ग्राम की पश्चिमी सीमा तक का क्षेत्र।

1.8 महायोजना की पृष्ठभूमि :

काशीपुर नगर पालिका सीमा तथा समीपवर्ती ग्रामीण क्षेत्र में अनियोजित अनियंत्रित वर्तमान विकास पर प्रभावी नियंत्रण लगाने तथा वर्ष की भावी नगरीय जनसंख्या की आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति तथा नगर के भौतिक एवं आर्थिक विकास को सुदृढ़ नीति के अनुसार निर्देशित दिशा दिये जाने के उद्देश्य से काशीपुर महायोजना तैयार करने का दायित्व उत्तर प्रदेश शासन ने अपने आदेश संख्या – 3426/9–आ–3–93–12 महा0/93 आवास अनुभाग–3 लखनऊ दिनांक 7 सितम्बर 1993 द्वारा नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग को सौंपा।

Scanned with CamScanner

इसी परिप्रेक्ष्य में काशीपुर महायोजना की संरचना की गई जिसमें निम्नलिखित उद्देश्यों को दृष्टिगत रखा गया है।

1. काशीपुर भावी नगरीय क्षेत्र में अनियंत्रित एवं अनियोजित विकास को नियंत्रित करना तथा भावी विकास को सन्तुलित भौतिक नीतियों के अनुरूप सुनियोजित करना।
2. वर्तमान जनसंख्या एवं नगर की कार्यात्मक प्रवृति के आधार पर प्रभावी जनसंख्या का पूर्वानुमान कर नियोजन सिद्धान्तों के अनुरूप महायोजना क्षेत्र में समायोजित करना।
3. शिक्षा, चिकित्सा, व्यवस्थित खुले स्थल जैसे पार्क एवं खेल के मैदान आदि सामुदायिक सुविधाओं तथा जल–आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति, जल–मल निस्तारण जैसी मूल–भूत सेवाओं का भावी नगरीय जनसंख्या हेतु आवश्यक प्राविधान करना।
4. आवासीय क्षेत्रों तथा विभिन्न कार्यस्थलों में समय व दूरी का एक सुचारू अन्तर सम्बन्ध बनाये रखने के उद्देश्य से यथोचित भू–उपयोग प्रस्ताव देना।
5. महायोजना प्रारूप के विभिन्न भू–उपयोगों के प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन हेतु नियोजन नियमों के अनुकूल यातायात एवं परिवहन पद्धति का प्राविधान करना।
6. वर्तमान में विद्यमान विभिन्न नगरीय क्रियाओं की आपसी विसंगतियों में "नान–कन्फोर्मिंग" उप–नियमों, भू–उपयोग प्रस्तावों एवं परिक्षेत्रीय विनियमों के माध्यम से यथासम्भव सामंजस्य सुनिश्चित करना।

Scanned with CamScanner

अध्याय – 2

जनांककीय

2.1 जनसंख्या :

काशीपुर महायोजना क्षेत्र सम्मिलित करते हुए काशीपुर नगरीय क्षेत्र तथा इसके निकटवर्ती 36 ग्रामों की जनसंख्या का अध्ययन, महायोजना भू–उपयोग प्रस्ताव देने से पूर्व करना आवश्यक है। इस सम्पूर्ण क्षेत्र के नागरिकों की वर्तमान एवं भावी आवश्यकताओं के निर्धारण के लिए जनसंख्या के गणनात्मक एवं गुणात्मक पहलुओं का अध्ययन किया जाना उपयोगी है, जिससे नगर एवं नागरिकों के भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक नियोजन की संतुलित रूप रेखा तैयार की जा सके। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार काशीपुर विनियमित क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 10,433.6 हैक्टेयर एवं जनसंख्या 1,04,802 व्यक्ति है। इस क्षेत्र की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या 69,870 व्यक्ति तथा ग्रामीण जनसंख्या 34,932 व्यक्ति है। नगरीय सीमा के अन्तर्गत 546.00 हैक्टेयर भूमि है, जो कुल विनियमित क्षेत्र के क्षेत्रफल का 5.21 प्रतिशत है। अतः कुल जनसंख्या का 66.7 प्रतिशत भाग नगरीय क्षेत्र में निवास करता है।

2.2 दशकीय जनसंख्या वृद्धि (नगरीय क्षेत्र) :

काशीपुर नगर की वर्ष 1901 में मात्र 12,023 जनसंख्या थी। जो कि 1911 में बढ़कर 12,773 व्यक्ति हो गई। इस प्रकार 1901–1911 के दशक में 6.2 प्रतिशत जनसंख्या की वृद्धि हुई। 1921 में यहाँ की जनसंख्या घटकर 10,576 व्यक्ति रह गई। इस प्रकार वर्ष 1911 की अपेक्षा 17.20 प्रतिशत जनसंख्या का ह्रास हुआ। इस दशक में जनसंख्या में कमी के पक्ष में यह तर्क दिया जाता है कि इस अवधि में अनेक दुर्भिक्षु एवं महामारियाँ इस क्षेत्र में फैली जिससे जनसंख्या में कमी आई है। वर्ष 1931 में यहाँ की जनसंख्या 11,270 व्यक्ति थी तथा इस दशक में 6.62 प्रतिशत जनसंख्या की वृद्धि हुई। इस प्रकार 1931–1941 के दशक में 17.3 प्रतिशत, 1941–1951 के दशक में 25.5 प्रतिशत तथा 1951–61 के दशक में 46.2 प्रतिशत जनसंख्या में वृद्धि हुई। वर्ष 1961–71 के दशक में 37.9 प्रतिशत एवं वर्ष 1971–81 के दशक में 54.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो विगत दशकों की तुलना में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि है। इस वृद्धि का प्रमुख कारण इस दशक में यहाँ तीव्र गति से औद्योगिक विकास का होना और रोजगार हेतु बाहर से लोगों का यहाँ पर आना है। वर्ष 1981–91 के दशक में यहाँ 34.9 प्रतिशत जनसंख्या की वृद्धि हुई है। काशीपुर नगरीय क्षेत्र की जनसंख्या वृद्धि का विवरण तालिका संख्या 2.1 में दिया गया है।

तालिका संख्या 2.1
काशीपुर नगरीय क्षेत्र में दशकीय जनसंख्या वृद्धि

वर्ष	जनसंख्या	जनसंख्या वृद्धि	जनसंखा वृद्धि (प्रतिशत में)
1901	12,023	-	-
1911	12,773	+750	(+6.24)
1921	10,576	-2197	(-17.02)
1931	11,270	+700	(+6.62)
1941	13,223	+1953	(+17.32)
1951	16,597	+3374	(+25.52)
1961	24,258	+7661	(+46.15)
1971	33,457	+9199	(+37.92)
1981	51,773	+18316	(+54.74)
1991	69,870	+18097	(+34.95)

Scanned with CamScanner

2.2.1 प्रमुख नगरों से काशीपुर नगर की जनसंख्या वृद्धि का तुलनात्मक विवेचना :

स्वतंत्रता के पश्चात् तराई क्षेत्र के प्रमुख नगरों, जिनमें मुख्यतः काशीपुर, बाजपुर एवं रूद्रपुर हैं, की जनसंख्या वृद्धि की तुलनात्मक विवेचना करने से स्पष्ट होता है कि रूद्रपुर नगर के बाद काशीपुर नगर की जनसंख्या में अन्य नगरों की अपेक्षा अधिक वृद्धि हुई है। मुख्यतः 1981 के दशक में काशीपुर में 1971 के दशक की अपेक्षा लगभग 50 प्रतिशत जनसंख्या की वृद्धि हुई है जबकि रूद्रपुर नगर में 1971 की अपेक्षा 1981 के दशक में जनसंख्या वृद्धि में न्यूनता आई है। यही स्थिति बाजपुर नगर की भी रही है। काशीपुर में 1971–1981 के दशक में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारक तीव्र औद्योगिक विकास रहा है। जनसंख्या वृद्धि का तुलनात्मक विवेचन निम्न तालिका संख्या 2.2 में दिया गया है।

तालिका संख्या 2.2

जनपद के प्रमुख नगरों से काशीपुर नगर की जनसंख्या वृद्धि का तुलनात्मक विवरण

क्र. सं.	जनगणना वर्ष	काशीपुर जनसंख्या	नगरीय जनसंख्या वृद्धि	बाजपुर जनसंख्या	नगरीय जनसंख्या वृद्धि	रूद्रपुर जनसंख्या	नगरीय जनसंख्या वृद्धि
1.	1951	16597	_	1744	--	982	--
2.	1961	24258	+7661	6316	+4571	9662	+8680
3.	1971	33457	+9199	11236	+4921	25171	+15509
4.	1981	51773	+18316	15050	+3814	34658	+9587
5.	1991	69870	+18097	16587	+1537	61280	+26622

स्रोतः– जनगणना पुस्तिका एवं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, नैनीताल।

2.2.2 दशकीय जनसंख्या वृद्धि (विनियमित क्षेत्र) :

काशीपुर विनियमित क्षेत्र, जिसमें नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है, की दशकीय जनसंख्या वृद्धि में काफी भिन्नता है। वर्ष 1961 में यहाँ की जनसंख्या 34,548 व्यक्ति थी जो वर्ष 1971 में बढ़कर 50,747 व्यक्ति हो गई। यह वृद्धि वर्ष 1961 की अपेक्षा 46.15 प्रतिशत अधिक रही। जबकि इसी समयावधि में नगरीय क्षेत्र में 37.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 1981 में विनियमित क्षेत्र की कुल जनसंख्या 74,172 व्यक्ति थी। वर्ष 1971 की अपेक्षा इस दशक में कुल 46.2 प्रतिशत की वृद्धि पाई गई। इसी दशक में नगरीय क्षेत्र की जनसंख्या में 54.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस प्रकार 1981 के दशक में गत दशकों की अपेक्षा नगरीय जनसंखा में सर्वाधिक वृद्धि देखने में आई। उक्त वृद्धि का प्रमुख कारण इस दशक में अपेक्षाकृत तीव्र गति से हुई औद्योगीकरण एवं उसके परिणामस्वरूप व्यापक नगरीय विस्तार की प्रक्रिया का होना रहा। तत्पश्चात् 1991 के दशक में विनियमित क्षेत्र की कुल जनसंख्या में 41.3 प्रतिशत की वृद्धि के फलस्वरूप इस क्षेत्र की कुल जनसंख्या 1,04,802 व्यक्ति हो गयी। गत दशकों की अपेक्षा 1981–1991 के दशक में नगरीय जनसंख्या वृद्धि दर में ह्रास का मुख्य कारण इस तराई क्षेत्र में बढ़ते आतंकवादी गतिविधियों के फलस्वरूप इस क्षेत्र से आर्थिक क्रियाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना एवं लोगों का यहाँ से पलायन करना है। जनसंख्या वृद्धि के आंकड़ों का विवरण निम्न तालिका संख्या 2.3 में दिया गया है।

तालिका संख्या 2.3

दशकीय जनसंख्या वृद्धि : काशीपुर विनियमित क्षेत्र

क्र. सं.	वर्ष	कुल जनसंख्या	जनसंख्या वृद्धि	वृद्धि दर (प्रतिशत में)
1.	1961	34,548		-
2.	1971	50,747	+16,199	46.9
3.	1981	74,172	+23,425	46.2
4.	1991	1,04,802	+20,630	41.3

Scanned with CamScanner

2.3 जनसंख्या घनत्व :

काशीपुर विनियमित क्षेत्र की जनसंख्या का सकल घनत्व वर्ष 1961 में 3.3 व्यक्ति प्रति हैक्टेयर, वर्ष 1971 में 4.9 व्यक्ति प्रति हैक्टेयर तथा वर्ष 1981 में 2.0 व्यक्ति प्रति हैक्टेयर था। वर्ष 1991 में सकल घनत्व बढ़कर 8.5 व्यक्ति प्रति हैक्टेयर हो गया। इससे स्पष्ट होता है कि विगत दशकों में नगरीय क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि के फलस्वरूप विनियमित क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले ग्रामीण क्षेत्र में भी जनसंख्या वृद्धि हुई है।

काशीपुर नगरीय क्षेत्र के अन्तर्गत वर्ष 1961 में 44.4 व्यक्ति प्रति हैक्टेयर जनसंख्या का घनत्व था जो 1971 में बढ़कर 61.2 व्यक्ति प्रति हैक्टेयर तथा 1981 में 94.8 व्यक्ति हो गया। जनसंख्या घनत्व वर्ष 1991 में बढ़कर 128.00 व्यक्ति प्रति हैक्टेयर हो गया जो गत वर्षों की अपेक्षा सर्वाधिक रहा। नगरीय क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व अधिक होने का प्रमुख कारण रोजगार हेतु लोगों का यहाँ पर आना है। अधिक जनसंख्या वृद्धि के फलस्वरूप जनसंख्या के घनत्व में भी वृद्धि आई है।

2.4 परिवार का आकार :

वर्ष 1961 के अनुसार काशीपुर नगरीय क्षेत्र के अन्तर्गत परिवार का आकार 5.2 व्यक्ति प्रति परिवार था। ग्रामीण क्षेत्र में 4.4 व्यक्ति प्रति परिवार तथा काशीपुर विनियमित क्षेत्र के अन्तर्गत 5.0 व्यक्ति प्रति परिवार था। इसी प्रकार वर्ष 1971 में नगरीय क्षेत्र के अर्न्तगत परिवार का आकार घटकर 4.7 व्यक्ति प्रति परिवार हो गया जबकि ग्रामीण क्षेत्र में वर्ष 1961 की अपेक्षा परिवार का आकार बढ़कर 5.6 व्यक्ति प्रति परिवार हो गया तथा विनियमित क्षेत्र के अन्तर्गत भी वर्ष 1961 की अपेक्षा परिवार का आकार बढ़कर 5.6 व्यक्ति प्रति परिवार हो गया। वर्ष 1981 में नगरीय क्षेत्र में परिवार का आकार 5.8 व्यक्ति प्रति परिवार हो गया तथा ग्रामीण क्षेत्र में परिवार का आकार वर्ष 1971 की अपेक्षा बढ़कर 5.8 व्यक्ति प्रति परिवार हो गया। इसका प्रमुख कारण जनसंख्या का आव्रजन है।

2.5 लिंगानुपात :

वर्ष 1961 की जनगणना के अनुसार विनियमित क्षेत्र काशीपुर का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरूषों पर 795 स्त्रियाँ थीं। वर्ष 1971 में यह अनुपात प्रति हजार पुरूषों पर 815 स्त्रियों का था एवं 1981 में 849 स्त्रियाँ तथा वर्ष 1991 में 851 स्त्रियाँ प्रति हजार पुरूष पर थीं। काशीपुर के भौतिक विकास के साथ यहाँ पर नये–नये उद्योग धन्धों व अन्य क्रियाकलापों की स्थापना के फलस्वरूप रोजगार हेतु बाहर से यहाँ पर जनसंख्या का आव्रजन हुआ इसके परिणामस्वरूप स्त्रियों की संख्या पुरूषों की अपेक्षा कम है।

तालिका संख्या 2.4

काशीपुर विनियमित क्षेत्र का लिंगानुपात

वर्ष	पुरूष	स्त्री	योग	लिंगानुपात (प्रति हजार पुरूषों पर)
1961	19236	15312	34538	795
1971	27946	22891	50747	815
1981	39500	33538	73038	849
1991	47670	40605	88275	851

स्रोत : जनगणना पुस्तिका

2.6 साक्षरता :

काशीपुर विनियमित क्षेत्र के अन्तर्गत वर्ष 1961 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या का 35.5 प्रतिशत व्यक्ति साक्षर थे। कुल साक्षरता का 69.4 प्रतिशत पुरूष एवं 30.6 प्रतिशत स्त्रियाँ साक्षर थीं। वर्ष 1971 में

Scanned with CamScanner

कुल जनसंख्या का 39.9 प्रतिशत व्यक्ति साक्षर थे जो वर्ष 1961 की अपेक्षा 4.4 प्रतिशत अधिक है। स्त्रियों की साक्षरता का प्रतिशत भी वर्ष 1961 की अपेक्षा 3.0 प्रतिशत अधिक रहा। वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या का 59.8 प्रतिशत पुरूष एवं 40.2 प्रतिशत स्त्रियाँ साक्षर थीं। इस प्रकार विगत दशकों की अपेक्षा स्त्रियों की साक्षरता का प्रतिशत निरन्तर बढ़ता जा रहा है।

2.7 भावी जनसंख्या प्रक्षेपण :

काशीपुर विनियमित क्षेत्र के अर्न्तगत सम्मिलित ग्रामों की जनसंख्या वृद्धि की प्रवृतियों के साथ–साथ नगर के भावी विकास से संबंधित आर्थिक क्रियाकलापों एवं इनके स्वरूप को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2011 तक लिए जनसंख्या का प्रक्षेपण किया गया है। भावी जनसंख्या का सही–सही अनुमान लगाया जाना यद्यपि कठिन है क्योंकि प्रायः जनसंख्या वृद्धि कुछ निश्चित कारणों के साथ–साथ कई अनिश्चित कारणों से भी प्रायः परोक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती है, तदापि अन्य बिन्दु समान रहने पर, मुख्य चार विधियों के आधार पर जनसंख्या का प्रक्षेपण किया गया है। विभिन्न विधियों द्वारा प्रक्षेपित जनसंख्या का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका संख्या 2.5
विभिन्न विधियों द्वारा 2011 हेतु प्रक्षेपित जनसंख्या विवरण (लाख में)

क्र. सं.	प्रक्षेपण विधि	विनियमित क्षेत्र		नगरीय क्षेत्र		ग्रामीण क्षेत्र	
		वर्ष 2001	वर्ष 2011	वर्ष 2001	वर्ष 2011	वर्ष 2001	वर्ष 2011
1.	गणितीय विधि	1.32	1.59	0.88	1.06	0.44	0.53
2.	ज्यामितिय विधि	1.39	1.97	0.94	1.35	0.45	0.62
3.	चक्रवृति विधि	1.35	1.66	0.88	1.06	0.47	0.60
4.	एक्सट्रापोलेशन विधि	1.18	2.13	0.80	1.44	0.38	0.70

उपरोक्त जनसंख्या प्रक्षेपण विधियों में से किसी एक विधि के आधार पर जनसंख्या का सही अनुमान लगाना कठिन ही नहीं अपितु अव्यवहारिक भी है। अतः उक्त चारों विधियों के आधार पर भावी जनसंख्या अनुमानित की गई है जिसका विवरण निम्न तालिका 2.6 में दिया गया है।

तालिका संख्या 2.6
वर्ष 2011 हेतु जनसंख्या प्रक्षेपण (लाख में)

वर्ष	विनियमित क्षेत्र	नगरीय क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र
1991	1.05	0.70	0.35
2001	1.37	0.87	0.50
2011	1.83	1.22	0.61

उक्त तालिका के अनुसार काशीपुर विनियमित क्षेत्र, जिसकी वर्ष 1991 में लगभग 1.05 लाख की जनसंख्या है, की वर्ष 2011 तक कुल 1.83 लाख की जनसंख्या अनुमानित की गई हैं। उक्त अनुमानित जनसंख्या में से नगरीय क्षेत्र की वर्ष 2011 हेतु लगभग 1.22 लाख जनसंख्या का अनुमान है।

Scanned with CamScanner

3.1 आर्थिक आधार :

आर्थिक आधार नगर के भौतिक विकास तथा उसके स्वरूप एवं जनसंख्या को प्रभावित करने में एक प्रमुख कारक रहता है। काशीपुर नगर के भौतिक विकास की परिकल्पना भी नगर के आर्थिक गतिविधियों के विश्लेषण के उपरान्त ही की जा सकती है। काशीपुर नगर अपनी विशिष्ट क्षेत्रीय स्थिति के कारण अपने उद्‌भव काल से ही क्षेत्रीय जनता के आर्थिक क्रिया कलापों का एक प्रमुख केन्द्र रहा है। विभिन्न दशकों में कार्यात्मक प्रवृति के अध्ययन के पश्चात् यह निष्कर्ष निकलता है कि वर्ष 1951 के दशक के सेवा केन्द्र, 1961 के दशक में व्यापारिक एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों की स्थापना के फलस्वरूप नगर के स्वरूप में परिवर्तन हो गया है। 1971 के दशक के बाद शासन ने पर्वतीय जनपदों में उद्योग धन्धों को बढ़ावा देने हेतु उदार औद्योगिक नीति बनाई, जिसके अन्तर्गत उद्योगों को अनेक रियायतें एवं सुविधायें दी गयीं। फलस्वरूप यहाँ पर विभिन्न प्रकार की औद्योगिक इकाईयों की स्थापना हुई, जिससे नगर में अपेक्षाकृत तीव्र भौतिक विकास के साथ–साथ श्रमिकों का एक प्रमुख भाग गैर–प्राथमिक क्रियाकलापों, विशेषकर औद्योगिक क्रियाकलापों में, अपनी जीविका अर्जित करने लगे।

3.2 श्रम शक्ति :

वर्ष 1961 की जनगणना के अनुसार काशीपुर विनियमित क्षेत्र के अर्न्तगत कुल श्रमिकों की संख्या 12,366 व्यक्ति थी, जिसमें 11,502 पुरूष श्रमिक तथा 864 स्त्रियाँ थीं। अतः इस दशक में जनसंख्या का लगभग 35.8 प्रतिशत श्रमिक थे। वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या

अध्याय –3

आर्थिक आधार

का लगभग 29.2 प्रतिशत श्रमिक थे जिनमें 20,880 पुरूष श्रमिक तथा 1034 स्त्री श्रमिक थे। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या का 29.84 प्रतिशत श्रमिक थे। जिसमें कुल श्रम शक्ति का 93. 78 प्रतिशत पुरूष श्रमिक और 6.22 प्रतिशत स्त्री श्रमिक थे।

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में आर्थिक क्रियाकलापों में अपेक्षाकृत वृद्धि न होना रहा। जिससे कार्य करने वाले व्यक्तियों के अनुपात में स्वाभाविक रूप में ह्रास हुआ।

3.3 व्यवसायिक संरचना :

वर्ष 1961 की जनगणना के अनुसार काशीपुर विनियमित क्षेत्र के अर्न्तगत कुल श्रमिकों का 35.1 प्रतिशत भाग प्राथमिक श्रेणी, जैसे कृषि, पशुपालन, वन, खान खदान में कार्यरत थे जबकि लगभग 23.7 प्रतिशत श्रमिक द्वितीय श्रेणी के व्यवसाय जैसे गृह उद्योग, निर्माण आदि में कार्यरत थे। तृतीय श्रेणी के अर्न्तगत कुल श्रमिकों का लगभग 41.2 प्रतिशत भाग कार्यरत रहा जिसमें व्यवसायिक एवं वाणिज्य, उद्योग, राजकीय सेवा, यातायात आदि क्रियाकलाप सम्मिलित हैं। वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार कुल श्रम शक्ति का लगभग 36.1 प्रतिशत प्राथमिक श्रेणी के अन्तर्गत, लगभग 28.5 प्रतिशत द्वितीय श्रेणी के अन्तर्गत तथा लगभग 36.3 प्रतिशत श्रमिक तृतीय श्रेणी के अन्तर्गत कार्यरत थे। इसी प्रकार वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार काशीपुर विनियमित क्षेत्र के अन्तर्गत कुल श्रमिक शक्ति का लगभग 35.6 प्रतिशत भाग प्राथमिक श्रेणी, लगभग 27.5 प्रतिशत भाग द्वितीय श्रेणी तथा लगभग 36.9 प्रतिशत भाग तृतीय श्रेणी के अन्तर्गत कार्यरत थे। जबकि वर्ष 1991 की जनगणना के

Scanned with CamScanner

अनुसार कुल श्रम शक्ति का लगभग 35.2 प्रतिशत प्राथमिक श्रेणी, 27.2 प्रतिशत द्वितीय श्रेणी एवं 37.6 प्रतिशत तृतीय श्रेणी के अन्तर्गत कार्यरत रहे।

तालिका संख्या 3.1

काशीपुर वि0 क्षे0 : वर्तमान व्यावसायिक संरचना

व्यावसायिक श्रेणी	1961 श्रमिकों की सं0	1971 श्रमिकों की सं0	1981 श्रमिकों की सं0	1991 श्रमिकों की सं0
प्राथमिक श्रेणी (काश्तकार खेतिहर मजदूर)	4202	5210	7803	9318
प्रतिशत	(35.1)	(35.1)	(35.6)	(35.2)
द्वितीय श्रेणी (पारिवारिक उद्योग, निर्माण आदि)	2895	4321	6033	7206
प्रतिशत	(23.7)	(28.5)	(27.5)	(27.2)
तृतीय श्रेणी (वाणिज्य, व्यापार, उद्योग, सेवा, संचार आदि)	5869	5377	8078	9966
प्रतिशत	(41.2)	(36.3)	(36.9)	(37.6)
श्रमिक कुल संख्या	12366	14828	21914	26490

उपरोक्त व्यवसायिक संरचना के विश्लेषण से स्पष्ट है कि काशीपुर विनियमित क्षेत्र में वर्ष 1961 से वर्ष 1991 तक के दशकों की अवधि में प्राथमिक श्रेणी में कार्यरत श्रमिकों का अनुपात लगभग समान रहा। जबकि इसी अवधि में द्वितीय श्रेणी में श्रमिकों का प्रतिशत वर्ष 1961 में 23.7 से बढ़कर वर्ष 1991 में 27.2 प्रतिशत हो गया।

सामान्यतः नगरीयकरण की प्रक्रिया में श्रमिकों का प्रतिशत प्राथमिक श्रेणी से घटकर द्वितीय व तृतीय श्रेणियों में बढ़ता है। परन्तु काशीपुर विनियमित क्षेत्र में द्वितीय श्रेणी में श्रमिकों के अनुपात में हुई वृद्धि तृतीय श्रेणी के श्रमिकों में आई गिरावट के फलस्वरूप हुई है। इस प्रकार की व्यवसायिक संरचना में आया परिवर्तन एक स्वस्थ नगरीयकरण प्रक्रिया का द्योतक नहीं है। उक्त विश्लेषण के साथ–साथ इस तथ्य की ओर भी ध्यान आकृष्ट करना उचित होगा कि द्वितीय श्रेणी में गत चार दशकों में श्रमिकों के अनुपात में यद्यपि वृद्धि हुई है परन्तु यह वृद्धि औद्योगिक इकाइयों की इसी अवधि में हुई स्थापना की अपेक्षा आशानुकूल नहीं रही। इसका मुख्य कारण सम्भवतः यह रहा कि शासन की पर्वतीय क्षेत्रों हेतु औद्योगिक उदारीकरण की नीति के चलते इस क्षेत्र में नवीन औद्योगिक इकाईयाँ तीव्र गति से स्थापित तो हुई परन्तु कालान्तर में विभिन्न कारणों, विशेषकर व्यवस्थित एवं नियोजित रूप से औद्योगिक अधोसंरचना के अभाव के फलस्वरूप कई नवीन स्थापित इकाईयाँ बन्द भी हो गई।

3.4 प्रक्षेपित श्रमशक्ति एवं व्यवसायिक संरचना :

विगत दशकों में श्रमिकों का विभिन्न आर्थिक श्रेणियों में भागीदारी के आधार पर काशीपुर नगरीय क्षेत्र की भावी व्यवसायिक संरचना की परिकल्पना एवं श्रम शक्ति का अनुमान लगाया गया है। जिसका विरवण निम्न तालिका संख्या 3.2 में दिया गया हैं

तालिका संख्या 3.2

काशीपुर नगरीय क्षेत्र में वर्तमान एवं प्रस्तावित व्यवसायिक संरचना एवं श्रम शक्ति

व्यवसायिक श्रेणी	वास्तविक			प्रक्षेपित	
	1971	1981	1991	2001	2011
प्रथम श्रेणी	13.0	9.3	10.7	7.0	3.0
द्वितीय श्रेणी	32.1	4.1	29.0	30.0	31.0
तृतीय श्रेणी	54.9	86.7	60.3	63.0	66.0
श्रम शक्ति अनुपात	26.7	26.6	27.2	29.0	32.0

वर्तमान की अपेक्षा आगामी दशकों में नगरीय क्षेत्र के आर्थिक आधार का और अधिक सुदृढ़ होने, आर्थिक क्रियाकलापों के विस्तृतीकरण तथा रोजगार के अवसरों में व्यापक रूप से विस्तार होने की प्रक्रिया के सन्दर्भ में वर्ष 1991 में श्रमशक्ति अनुपात जो 27.2 है, वर्ष 2001 में बढ़कर

Scanned with CamScanner

लगभग 29.0 तथा महायोजना अवधि अर्थात वर्ष 2011 तक लगभग 32.0 हो जाना अनुमानित है।

वर्तमान में नगरीय क्षेत्र के अर्न्तगत अधिकांश श्रमिक द्वितीय एवं तृतीय क्रियाओं के अर्न्तगत कार्यरत हैं जबकि कुल श्रमिक संख्या का मात्र लगभग 10.7 प्रतिशत श्रमिक प्राथमिक क्रियाओं में कार्यरत हैं। ऐसा अनुमान है कि आगामी दशकों में स्वस्थ नगरीयकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप प्राथमिक श्रेणी में कार्यरत श्रमिकों के अनुपात में कमी आएगी तथा इसकी अपेक्षा द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के व्यवसायिक क्रियाकलापों में श्रमिकों के अनुपात में वृद्धि होना अनुमानित है। प्राथमिक श्रेणी में वर्ष 1991 में कुल श्रमिकों का लगभग 10.7 प्रतिशत श्रमिक का अनुपात वर्ष 2011 तक घटकर 3.0 प्रतिशत होना अनुमानित है। इसी प्रकार द्वितीय एवं तृतीय श्रेणियों में वर्ष 1991 में क्रमशः 60.0 एवं 27.2 प्रतिशत श्रमिक कार्यरत थे तथा जिनका अनुपात वर्ष 2011 में बढ़कर 66.0 तथा 32.0 प्रतिशत होना अनुमानित है।

काशीपुर विनियमित क्षेत्र, जिसके अर्न्तगत वर्तमान नगरीय क्षेत्र एवं इसके निकटवर्ती 36 ग्रामीण क्षेत्र सम्मिलित हैं तथा जिसमें महायोजना का प्रस्ताव दिया जाना है, में विगत दशकों में विभिन्न व्यवसायिक श्रेणियों में श्रमिकों के अनुपात का अध्ययन कर महायोजना अवधि हेतु श्रमशक्ति के अनुपात का विभिन्न आर्थिक श्रेणियों में प्रक्षेपण किया गया है। उक्त प्रक्षेपण नगर के वर्तमान आर्थिक आधार नगरीयकरण एवं औद्योगीकरण की प्रवृति व्यवसायिक पृष्ठभूमि तथा शासन की विकास नीति को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है।

वर्ष 1991 में कुल जनसंख्या का लगभग 25.2 प्रतिशत भाग श्रमिक है। यह अनुपात 1971 व 1981 के दशक की तुलना में अपेक्षाकृत कम रहा। महायोजना काल में उत्प्रेरित नगरीय विकास एवं नगर के आर्थिक आधार को अधिक सुदृढ़ करने व रोजगार के अवसर बढ़ने से अनुमानित है कि आगामी दशकों में श्रमशक्ति के अनुपात में भी वृद्धि होगी। वर्ष 2001 में यह अनुपात 27.5 प्रतिशत तथा महायोजना अवधि वर्ष 2011 तक श्रम शक्ति लगभग 30 प्रतिशत होना अनुमानित है। विस्तृत विवरण तालिका संख्या 3.3 में दिया गया है।

तालिका संख्या 3.3
काशीपुर विनियमित क्षेत्र में वर्तमान एवं प्रस्तावित व्यवसायिक संरचना एवं श्रमशक्ति

व्यवसायिक श्रेणी	वास्तविक			प्रक्षेपित	
	1971	1981	1991	2001	2011
प्रथम श्रेणी	35.1	35.6	35.2	31.2	28.0
द्वितीय श्रेणी	28.5	27.5	27.2	29.5	30.0
तृतीय श्रेणी	36.3	36.9	37.6	39.5	42.0
श्रमशक्ति अनुपात	29.2	29.5	25.2	27.5	30.0

महायोजना काल में भौतिक नगरीय विस्तार की बढ़ती प्रवृति के फलस्वरूप श्रमिकों का अनुपात प्राथमिक श्रेणियों में घटकर द्वितीय एवं तृतीय श्रेणियों के अर्न्तगत आने वाली क्रियाओं में बढ़ेगा। अतः वर्तमान में लगभग 65 प्रतिशत श्रमिकों की अपेक्षा महायोजनावधि के अन्त तक कुल श्रमिकों का लगभग 72 प्रतिशत भाग गैर–प्राथमिक क्रियाओं में कार्यरत होने का अनुमान है।

Scanned with CamScanner

अध्याय – 4

आवास

4.1 आवास :

किसी भी महायोजना को तैयार करने से पूर्व यह आवश्यक है कि नागरिकों की प्रमुख आवश्यकता आवास का विस्तृत अध्ययन किया जाये। आवासीय समस्या न केवल बड़े नगरों की है बल्कि छोटे एवं मध्यम आकार के नगर भी दिन प्रतिदिन इस समस्या से ग्रस्त हो रहे हैं। यह समस्या न केवल संख्यात्मक दृष्टि से है अपितु गुणात्मक दृष्टि से भी जटिल होती जा रही है। अतः आवासों की वर्तमान कमी को पूरा करने के साथ ही भावी जनसंख्या हेतु इस मौलिक आवश्यकता का समुचित प्रावधान किया जाना आवश्यक होगा। काशीपुर नगर के भौतिक विकास की संरचना के अध्ययन से स्पष्ट है कि यहाँ पर आवासीय विकास मुख्य मार्गों के किनारे होता जा रहा है।

4.2 परिवार संख्या एवं आवास :

वर्ष 1961 की जनगणना के अनुसार काशीपुर विनियमित क्षेत्र के अन्तर्गत 6,973 परिवार 6,403 आवासीय भवनों में निवास करते थे। यदि प्रति परिवार एक भवन को मानक रखा जाये तो उस समय 570 भवनों की कमी थी। वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार विनियमित क्षेत्र के अन्तर्गत कुल परिवार संख्या 10,461 थी तथा कुल भवनों की संख्या 8,424 थी। इसी प्रकार वर्ष 1981 की जनगणनानुसार कुल परिवारों की संख्या 12,505 थी तथा आवासीय भवनों की संख्या 12,007 थी। अतः प्रति परिवार उक्त मानक के आधार पर 498 भवनों की कमी थी। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार कुल परिवार संख्या 17,350 है और आवासीय भवनों की संख्या 16,118 है। इस प्रकार 1,182 परिवार ऐसे हैं जिनके पास या तो अपना निजी भवन नहीं है या एक ही भवन में एक से अधिक परिवार निवास करते हैं।

तालिका संख्या 4.1

काशीपुर विनियमित क्षेत्र के अर्न्तगत परिवार एवं आवासीय भवनों का विवरण

जनगणना वर्ष	विनियमित क्षेत्र की कुल जनसंख्या	आवासीय भवनों की संख्या	परिवार की संख्या	भवनों की कमी	प्रतिभवन परिवार संख्या	परिवार का आकार
1961	34,548	6,403	6,973	570	1.08	4.95
1971	50,747	8,424	10,461	2,036	1.24	4.85
1981	74,172	12,007	12,505	498	1.03	5.70
1991	1,04,802	16,118	17,350	1,182	1.02	5.21

स्रोत : जनगणना हस्तपुस्तिका 1961, 1971 एवं 1981 तथा विभागीय सर्वेक्षण।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 1961 में प्रतिभवन 1.1 परिवार संख्या थी जो 1971 में बढ़कर 1.2 परिवार प्रति भवन हो गई। वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार 1.03 परिवार प्रति भवन तथा वर्ष 1991 में 1.02 परिवार प्रति भवन है। 1961 के जनगणना के अनुसार परिवार का औसत आकार 5.0 व्यक्ति प्रति परिवार था। जबकि वर्ष 1971 में यथावत 5.0 व्यक्ति प्रति परिवार रहते हुए वर्ष 1981 में बढ़कर 5.7 व्यक्ति प्रति परिवार हो गया। वर्तमान में वर्ष 1991 में 5.2 व्यक्ति प्रति परिवार का आकार है। इस प्रकार जहां एक ओर जनसंख्या वृद्धि के साथ–साथ परिवार का औसत आकार बढ़ा है, वहीं आवासीय मकानों की कमी भी परिलक्षित हुई।

Scanned with CamScanner

4.3 आवास स्तर :

काशीपुर नगर भी प्रदेश के अन्य शहरों की भाँति आवासीय समस्याओं से ग्रस्त है। यह समस्या प्रायः आवासीय भवनों की दशा, आवासीय क्षेत्रों में सुविधाओं जैसे समुचित जलापूर्ति, मल निस्तारण की समुचित व्यवस्था न होना, पानी की निकासी का समुचित प्रबन्ध न होना, व्यवस्थित खुले क्षेत्र का अभाव, अनियोजित रूप से भवनों के निर्माण के फलस्वरूप खुले एवं हवादार भवनों का अभाव आदि से सम्बन्धित है। अतः नगर के आवासीय स्तर को सुधारने हेतु गुणात्मक एवं गणनात्मक दृष्टि से सुनियोजित विकास आवश्यक है।

4.4 प्रक्षेपित परिवार एवं आवास :

आवासीय क्षेत्रों का प्रारूप भौगोलिक परिस्थितियों के साथ–साथ आर्थिक व सामाजिक कारकों के प्रभाव स्वरूप विभिन्न वर्गों के आवासीय क्षेत्रों का अस्तित्व यह प्रदर्शित करता है कि आवासीय विकास एकाएक न होकर लम्बे समय के अन्तराल में तथा विभिन्न चरणों में होता है। नगर के अन्य भागों की अपेक्षा केन्द्रीय भाग अनियोजित, मिश्रित भू–उपयोग, प्राचीन अधिवास सघन एवं निम्न स्तर के साथ ही संकरी सड़कों तथा तंग गलियों द्वारा विभाजित है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व इसी भाग में है। अत्यधिक जनसंख्या भार के कारण नगरीय भाग में सदैव आवासों की कमी रहती है, जिसका प्रत्यक्ष रूप से कुप्रभाव नगरीय सेवाओं, आवश्कताओं तथा सामुदायिक सुविधाओं पर अत्यधिक भार के रूप में परिलक्षित होता है।

काशीपुर नगरीय क्षेत्र के अर्न्तगत वर्तमान में अनेक परिवार आज भी ऐसे हैं जिनके पास अपना कोई निजी आवास नहीं है। एक ही भवन में एक से अधिक परिवार निवास कर रहे हैं। उक्त का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका संख्या 4.2
काशीपुर नगरीय क्षेत्र के अर्न्तगत आवासीय भवनों की संख्या तथा परिवारों का विवरण

वर्ष	भवनों की संख्या	परिवारों की सं0	आवासों की कमी
1961	4114	4643	529
1971	5628	7048	1420
1981	8323	8697	374
1991	10230	11225	995
2001 (प्रक्षेपित)	12583	14593	2010
2011 (प्रक्षेपित)	15477	18970	3493

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि पिछले दशक 1981 की वृद्धि दर के अनुपात को देखते हुए वर्ष 2001 व 2011 में क्रमशः 2,010 व 3,493 आवासों की कमी होने का अनुमान है। यदि प्रत्येक परिवार को भवन उपलब्ध कराने का लक्ष्य माना जाये तो वर्ष 2011 तक 3,493 आवासीय भवनों की आवश्यकता होगी।

काशीपुर विनियमित क्षेत्र के अर्न्तगत काशीपुर नगर पालिका क्षेत्र के अतिरिक्त 36 ग्राम सम्मिलित हैं। इस सम्पूर्ण विनियमित क्षेत्र में वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार कुल 17,350 परिवार थे जो कि 16,168 भवनों में निवास करते थे। इससे स्पष्ट है कि प्रत्येक परिवार को आवास उपलब्ध नहीं है। यदि यही स्थिति रही तो वर्ष 2001 व वर्ष 2011 में प्रक्षेपित परिवारों की संख्या क्रमशः 24,290 व 34,006 तथा प्रक्षेपित भवनों की संख्या क्रमशः 21,019 व 27,324 होने का अनुमान है। यदि वर्ष 2011 तक सम्पूर्ण परिवारों को आवासीय भवन उपलब्ध कराये जाने का

Scanned with CamScanner

लक्ष्य निर्धारित किया जाये तो लगभग 6,682 आवासीय भवनों की अतिरिक्त आवश्यकता होगी।

तालिका संख्या 4.3

काशीपुर विनियमित क्षेत्र में वर्तमान एवं प्रक्षेपित आवास एवं परिवारों का विवरण

वर्ष	भवनों का संख्या	परिवारों की संख्या	आवासों की कमी
1961	6403	6973	570
1971	8425	10461	2036
1981	12007	12505	498
1991	16168	17350	1182
2001 (प्रक्षेपित)	21019	24290	3271
2011 (प्रक्षेपित)	27324	34006	6682

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 1961, 1981 व 1991 में भवनों की संख्या व परिवारों की संख्या में वृद्धि दर लगभग एक समान अनुपात में रही। परन्तु वर्ष 1971 में वर्ष 1961 की अपेक्षा परिवारों की संख्या में तुलना में भवनों की संख्या में कोई सन्तोषजनक वृद्धि नहीं हुई, जिसका प्रमुख कारण इस क्षेत्र में तीव्र गति से औद्योगीकरण एवं रोजगार हेतु जनसंख्या का आव्रजन रहा।

Scanned with CamScanner

अध्याय – 5

उद्योग

5.1 उद्योग :

किसी भी नगर के भौतिक एवं आर्थिक विकास में उद्योग धन्धों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। नागरिकों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने के साथ–साथ आर्थिक विकास की गति को ठोस आधार प्रदान करने में उद्योगों का सर्वोच्च स्थान है। औद्योगीकरण के विस्तार के फलस्वरूप नगर में जनसंख्या आब्रजन में वृद्धि के साथ–साथ आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक परिवर्तनों को भी बढ़ावा मिलता है। इसके अतिरिक्त उद्योगों के विकास से नगर में वाणिज्य एवं व्यापार, यातायात तथा अन्य सम्बन्धित क्रियाओं का स्वतः विस्तार एवं विकास होता है। काशीपुर नगर, सघन कृषि उपजाऊ क्षेत्र में स्थित होने के कारण पर्याप्त मात्रा में कच्चे माल की उपलब्धता के फलस्वरूप प्रारम्भिक रूप से यहाँ कृषि पर आधारित उद्योगों की स्थापना हुई। वर्तमान समय में यहाँ पर विभिन्न प्रकार के लघु एवं वृहद उद्योगों की स्थापना से इस नगर को औद्योगिक दृष्टि से कुमाऊँ मण्डल का मानचेस्टर कहा जाता है।

5.2 औद्योगिक विकास :

काशीपुर में कुटीर उद्योगों को छोड़कर वृहद उद्योगों का विकास 1951 से प्रारम्भ हुआ। परन्तु वर्ष 1952 में यहाँ पर एच0एल0 शुगर फैक्ट्री की स्थापना हुई थी, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर अनेक कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योगों में निरन्तर वृद्धि होती गई। 1950 के दशक में लगभग 15 औद्योगिक इकाईयों की स्थापना हो चुकी थी। 1970 के दशक में औद्योगिक क्षेत्र में तीव्र विकास हुआ तथा इस दशक में यहाँ 42 नई औद्योगिक इकाईयों की स्थापना हुई। इस दशक के पश्चात् शासन ने पर्वतीय जिलों में उद्योग धन्धों को बढ़ावा देने हेतु उदार औद्योगिक नीति बनाई जिसके अर्न्तगत उद्योग धन्धों को अनेक रियायतें दी गई। फलस्वरूप यहाँ पर वर्ष 1971 के पश्चात् उद्योग धन्धों की स्थापना में तीव्रता आयी। वर्तमान समय में यहाँ पर विभिन्न स्तर की लगभग 600 इकाईयाँ कार्यरत हैं।

5.3 औद्योगिक विकास की दिशा :

काशीपुर में औद्योगिक इकाईयों की स्थापना यद्यपि पर्याप्त कच्चे माल की उपलब्धता एवं शासन से विशेष सुविधा एवं प्रोत्साहन के फलस्वरूप हुई, परन्तु औद्योगिक आस्थान स्थापित करने की निर्धारित योजना के अभाव में औद्योगिक विकास में परिलक्षित प्रबलता पूर्व निर्धारित क्षेत्रों में नियोजित एवं एकीकृत रूप से न होकर मुख्यतः नगर के बाहर मुख्य मार्गों के सन्निकट कृषि भूमि पर हुई। परिणामस्वरूप, औद्योगिक इकाईयों की स्थापना के आधार पर नगरीय विकास एवं विस्तार विभिन्न दिशाओं की ओर अग्रसर हुआ।

पश्चिम दिशा में उद्योग धन्धों का विकास मुख्यतः ठाकुरद्वारा मार्ग (मुरादाबाद मार्ग) पर हुआ। यहाँ पर अनेक उद्योग जैसे सूर्या बल्ब फैक्ट्री, स्ट्रा एण्ड कार्ड बोर्ड फैक्ट्री स्थापित हुए। इसी दिशा में जसपुर जाने वाले मार्ग के सन्निकट टायर फैक्ट्री, चावल मिल, मैनुअल फैक्ट्री आदि अनेक औद्योगिक इकाईयों की स्थापना एवं उनका विस्तार ग्राम कुण्डा की सीमा तक हो गया।

उत्तर दिशा की ओर रामनगर जाने वाले मार्ग पर ग्राम रमपुरा में जिन्दल सालवेन्ट, पालस्टर्स फैक्ट्री, बनवारी पेपर मिल आदि की

Scanned with CamScanner

स्थापना हुई है तथा भविष्य में इस ओर भी अन्य औद्योगिक इकाईयों की स्थापित होने की सम्भावनायें हैं।

दक्षिण दिशा में अलीगंज जाने वाले मार्ग के दोनों ओर ग्राम पसियापुरा तथा गिन्नी खेड़ा में अनेक औद्योगिक इकाईयों की स्थापना हुई। भविष्य में इस ओर भी औद्योगिक विकास की प्रबल संभावनायें हैं।

पूरब की ओर ग्राम खड़गपुरा व देवीपुरा में चीनी मिल, ग्राम हेमपुर इस्माईलपुर में यमुना औद्योगिक निर्माणशाला फैक्ट्री तथा इण्डियन ग्लाईकोल आदि फैक्ट्री स्थित हैं। भविष्य में इस ओर भी औद्योगिक विकास की प्रबल संभावनायें हैं।

5.4 उद्योगों की संख्या एवं प्रकार :

काशीपुर में वर्तमान समय में कुल 603 औद्योगिक इकाईयां हैं जिनमें लगभग 4464 श्रमिक कार्यरत हैं। औद्योगिक श्रेणी के अनुसार काशीपुर में स्थित उद्योगों को निम्न तीन श्रेणियों में बांटा गया है।

5.4.1 कुटीर उद्योग : कुटीर उद्योगों की नगर में 163 इकाईयाँ वर्तमान में विद्यमान हैं, जिसमें लगभग 389 श्रमिक कार्यरत हैं, जो काशीपुर में स्थित कुल औद्योगिक श्रमिकों का लगभग 8.7 प्रतिशत है।

5.4.2 लघु उद्योग : वर्तमान समय में काशीपुर में लघु उद्योगों की संख्या 415 है, जिसमें 2075 श्रमिक कार्यरत हैं, जो कुल औद्योगिक श्रमिकों का 46.5 प्रतिशत है।

5.4.3 वृहत उद्योग : काशीपुर में वर्तमान समय में 25 वृहत उद्योग हैं जिसमें लगभग 2000 श्रमिक अपनी आजीविका का अर्जन कर रहे हैं। इस स्तर के उद्योगों में कुल श्रमिकों का 44.8 प्रतिशत भाग कार्यरत है।

तालिका संख्या 5.1
काशीपुर महायोजना में उद्योगों का विवरण

क्र0 सं0	उद्योगों के प्रकार	उद्योगों की संख्या	प्रतिशत	कुल श्रमिक	कुल श्रमिक का प्रतिशत
1.	कुटीर उद्योग	163	27.03	389	8.72
2.	लघु उद्योग	415	68.82	2075	46.48
3.	वृहत्त उद्योग	25	4.15	2000	44.80
	योग	603	100.00	4464	100.00

स्रोत : उद्योग विभाग, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल।

Scanned with CamScanner

अध्याय – 6
वाणिज्य एवं व्यापार

6.1 वाणिज्य एवं व्यापार :

किसी भी नगर के आर्थिक एवं भौतिक विकास को सुदृढ़ करने में वाणिज्य एवं व्यापार का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यह न केवल नगरवासियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है अपितु नगर के अतिरिक्त निकटवर्ती जनसंख्या को खाद्यान्न, कपड़ा, दवाई, कृषि उपकरण आदि वस्तुयें उपलब्ध कराता है। काशीपुर नगर का उद्‌भव एक साँस्कृतिक नगर के साथ–साथ महत्वपूर्ण व्यापारिक मण्डी के रूप में हुआ है। इस नगर के उपजाऊ कृषि क्षेत्र में स्थित होने के कारण यहाँ पर क्षेत्र की सबसे बड़ी अनाज मण्डी है। सातवें और आठवें दशक में यहाँ पर औद्योगिक विकास की प्रक्रिया के अन्तर्गत अनेक छोटी और बड़ी औद्योगिक इकाईयों की स्थापना हुई और आज यह नगर तराई क्षेत्र का एक प्रमुख औद्योगिक नगर है। अतः यह नगर जन साधारण की आवश्यकताओं की पूर्ति तो करता ही है साथ ही यहाँ से उत्पादित वस्तुओं को प्रदेश व देश के अन्य भागों को भी भेजता है। परिणामस्वरूप वाणिज्य एवं व्यापार के विस्तार व विकास की दृष्टि से यह नगर क्षेत्र इसमें अग्रणी है।

6.2 दुकानों की संख्या एवं बाजार क्षेत्र :

काशीपुर नगर पालिका द्वारा उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर वर्तमान में नगर में विभिन्न प्रकार की 2549 दुकानें हैं। यद्यपि दुकानों की स्थापना वर्ष का विवरण उपलब्ध नहीं है लेकिन कहा जाता है कि वर्तमान दुकानों की संख्या का लगभग 40 प्रतिशत दुकानें 1950 से पूर्व की हैं। स्वतंत्रता के पश्चात यहाँ पर हरित क्रान्ति के साथ–साथ 1970 व 1980 के दशक में उद्योग धन्धों की तीव्र विकास हुआ है। फलस्वरूप आर्थिक क्रियाकलापों में भी वृद्धि हुई है। इस अवधि में वाणिज्य पर आधारित गतिविधियों का तीव्र विकास हुआ तथा वर्ष 1950 से 1990 तक यहाँ पर 60 प्रतिशत विभिन्न प्रकार के वाणिज्य प्रतिष्ठानों की स्थापना हुई है।

नगर का प्रमुख व्यवसायिक केन्द्र छत्तरी चौराहा है। इस चौराहे को सम्बद्ध करने वाले विभिन्न मार्गों के दोनों ओर व्यवसायिक प्रतिष्ठान विद्यमान हैं। इस क्षेत्र में मुख्यतः कपड़ा, अनाज, किराना, जनरल मर्चेन्ट, हौजरी, बर्तन, मिष्ठान, फल, सब्जी, आदि की दुकानें हैं। काशीपुर–मुरादाबाद मार्ग के दोनों तरफ मुख्यतः हार्डवेयर की दुकानें हैं। रामनगर–काशीपुर मार्ग पर भी हार्डवेयर तथा मरम्मत आदि की दुकानें हैं। इसी प्रकार काशीपुर ठाकुरद्वारा मार्ग व बाजपुर मार्ग पर भी हार्डवेयर, मरम्मत आदि की दुकानें हैं।

6.3 वर्तमान स्वरूप :

काशीपुर नगर में वर्तमान समय में कुल दुकानों का लगभग 2.4 प्रतिशत दुकानें थोक की हैं। एवं 97.6 प्रतिशत दुकानें फुटकर की हैं। कुल दुकानों में से अनाज की 2.9 प्रतिशत, कपड़े की 9.2 प्रतिशत, जनरल मर्चेन्ट की 18.6 प्रतिशत, काष्ठ फर्नीचर की 2.3 प्रतिशत, ज्वैलर्स की 2.2 प्रतिशत, साईकिल, मोटरसाईकिल, स्कूटर की 0.5 प्रतिशत हार्डवेयर की 5.4 प्रतिशत, सर्विस रिपेयर की दुकानें 17.1 प्रतिशत, मांस मछली की 1.7 प्रतिशत, फल, सब्जी की 9.8 प्रतिशत, भोजनालय, मिष्ठान चाय की 8.00 प्रतिशत, जूते एवं धोबी 3.7 प्रतिशत, दर्जी की 5.8 प्रतिशत, पान–सिगरेट की 3.5 प्रतिशत, नाई की 3.7 प्रतिशत, सिलाई की 0.5 प्रतिशत तथा बुकसेलर की दुकानें 1.0 प्रतिशत हैं। नगर में इस

Scanned with CamScanner

समय इन प्रतिष्ठानों के अर्न्तगत लगभग 3939 व्यक्ति कार्यरत हैं जो 1991 की नगरीय क्षेत्र के कर्मकारों का 20.7 प्रतिशत है।

तालिका संख्या 6.1
काशीपर नगर में दुकानों का व्यवसाय के अनुसार वर्गीकरण एवं कर्मकारों की संख्या

क्र. सं.	दुकानो के प्रकार	कुल दुकानों की संख्या	प्रतिशत	कुल कर्मकारों की संख्या	प्रतिशत
1.	खाद्यान्न	74	2.9	158	4.0
2.	कपड़ा	235	9.2	450	11.4
3.	जनरल मर्चेन्ट	475	18.6	500	12.7
4.	हार्डवेयर	138	5.4	240	6.1
5.	ज्वैलर्स	56	2.2	60	1.5
6.	काष्ठ फर्नीचर	59	2.3	70	1.8
7.	साईकिल/स्कूटर मोटरसाईकिल	14	0.5	20	0.5
8.	सर्विस रिपेयर	435	17.1	850	21.6
9.	मांस, मछली	44	1.7	44	1.1
10.	फल सब्जी	249	9.8	249	6.3
11.	मिष्ठान, चाय, होटल	204	8.0	415	10.5
12.	भोजनालय	24	0.9	44	1.1
13.	जूते/चप्पल	62	2.4	70	1.8
14.	लॉन्ड्री/धोबी	32	1.3	32	0.8
15.	बेकरी/बिस्कुट	23	0.9	45	1.1
16.	टी0 वी0/रेडियो, विद्युत, उपकरण संबंधी	56	2.3	65	1.6
17.	दर्जी	148	5.8	346	8.8
18.	पान रिगरेट	90	3.5	90	2.3
19.	नाई	93	3.7	130	3.3
20.	सिलाई मशीन	13	0.5	26	0.7
21.	बुकसेलर	25	1.0	35	0.9
	योग	2549	100.00	3939	100.00

6.4 व्यवसायिक क्षेत्रों का वर्गीकरण :

काशीपुर नगर में एक ही स्थान में विभिन्न व्यवसायिक क्रियाओं का समिश्रण होने के कारण व्यापारिक पदानुक्रम के रूप में व्यापारिक क्षेत्रों का वर्गीकरण करना संभव नहीं है। अतः यहाँ स्थित दुकानों की संख्या एवं उनमें हो रहे क्रय विक्रय पद्वति के अनुसार ही वर्गीकरण किया गया है।

6.4.1 थोक व्यापारिक केन्द्र :

काशीपर में अनाज, फल, मण्डी के थोक व्यापारिक केन्द्र मुख्यतः अनाज व सब्जी मण्डी के क्षेत्र के अर्न्तगत हैं जबकि अन्य थोक विक्रेताओं की दुकानें मिश्रित रूप में मुख्य बाजार क्षेत्र में ही स्थित हैं।

6.4.2 मुख्य व्यवसायिक केन्द्र :

नगर का मुख्य व्यवसायिक केन्द्र छत्तरी चौराहा से प्रारम्भ होकर पश्चिम में किला बाजार क्षेत्र तक विभिन्न मार्गों के दोनों किनारों पर स्थित है। यहाँ पर अनाज, कपड़ा, होजरी, जनरल मर्चेन्ट, किराना, टी0 वी0 आदि की विभिन्न प्रकार की दुकानें हैं। यह क्षेत्र अधिक व्यस्त तथा आकर्षण का केन्द्र है। दूसरा केन्द्र काशीपुर–मुरादाबाद मार्ग व काशीपुर–रामनगर मार्ग है। यहाँ पर मुख्यतः हार्डवेयर व सर्विस रिपेयरिंग से सम्बन्धित दुकानें हैं। तीसरा केन्द्र ठाकुरद्वारा मार्ग है। जिसके प्रारम्भ में हार्डवेयर तथा रिपेयरिंग से सम्बन्धित दुकानें हैं तथा नगर पालिका सीमा से बाहर फल मण्डी व अनाज मण्डी स्थित है। जहाँ मुख्यतः थोक व्यापार होता है। मण्डी क्षेत्र के आप–पास चाय, होटल व अन्य फुटकर की दुकानें हैं।

Scanned with CamScanner

6.4.3 फुटकर एवं स्थानीय दुकानें :

काशीपुर नगर का भौतिक विस्तार धीरे–धीरे नगर सीमा से बाहर हो रहा है। अतः भौतिक विकास के साथ–साथ छुट–पुट वाणिज्य गतिविधियों का विकास होना स्वाभाविक है। जैसे काशीपुर–ठाकुरद्वारा मार्ग पर ढ़ेला नदी के पुल के पश्चात् और नगरपालिका सीमा से बाहर यहाँ पर अनेक चाय, होटल, मिष्ठान भण्डार, कृषि यन्त्रों की रिपेयरिंग व अन्य फुटकर दुकानों की स्वतः स्थापना होती जा रही है, जो मण्डी में आये स्थानीय लोगों की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही है। इसी तरह काशीपुर–बाजपुर मार्ग पर भी औद्योगिक इकाईयों व शैक्षिक संस्थानों की स्थापना से इस क्षेत्र में अनेक फुटकर व्यापारिक प्रतिष्ठानों की स्थापना हुई है। अतः भविष्य में इन क्षेत्रों का फुटकर व्यावसायिक केन्द्र के रूप में विकसित होने की प्रबल संभावनायें हैं।

6.4.4 दुकानों की अनुमानित संख्या :

काशीपुर नगर में वर्तमान समय में उपलब्ध दुकानों की संख्या के आधार पर 27 व्यक्तियों पर एक दुकान उपलब्ध है। यदि यही अनुपात वर्ष 2011 तक रहा तो वर्ष 2011 तक के लिये लगभग 2951 अतिरिक्त दुकानों की आवश्यकता होगी।

Scanned with CamScanner

अध्याय–7

कार्यालय

7.1 कार्यालय :

काशीपुर नगर, जनपद उधमसिंह नगर का एक प्रमुख औद्योगिक नगर के साथ–साथ तहसील मुख्यालय भी है। अपनी औद्योगिक विशिष्टता के कारण यहाँ पर तहसील स्तर के कार्यालयों के अतिरिक्त अनेक केन्द्रीय एवं राजकीय /अर्द्धशासकीय कार्यालय भी स्थापित हुए हैं। इनमें मुख्यतः दूर संचार कार्यालय, डाकघर विभाग के कार्यालय, सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग, जलसंस्थान, जल निगम, विद्युत परिषद तथा स्थानीय निकाय के कार्यालय हैं।

7.2 वर्तमान स्वरूप :

काशीपुर विनियमित क्षेत्र के अर्न्तगत विभाग द्वारा किये गये सर्वेक्षण के अनुसार नगर में वर्ष 1850 से 1900 तक मात्र 4 कार्यालय थे। वर्ष 1901 से वर्ष 1950 तक 5 और कार्यालय खुले। वर्ष 1950 से 1990 के मध्य नगर में 23 अन्य कार्यालयों की स्थापना हुई। इस प्रकार वर्तमान समय में नगर में कुल लगभग 32 प्रमुख कार्यालय विद्यमान हैं। इन कार्यालयों में कुल कर्मचारियों की संख्या लगभग 4626 है।

केन्द्र सरकार के 3 कार्यालय यहाँ विद्यमान हैं। इनमें दूर संचार कार्यालय, एक मुख्य डाकघर तथा उप डाकघर के कार्यालय हैं। इन कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या 140 है जो नगर में स्थित कार्यालयों में कुल कर्मचारियों का 3.0 प्रतिशत है तथा नगर में स्थित कुल कार्यालयों में इन कार्यालयों का अनुपात लगभग 9.4 प्रतिशत है। उत्तराँचल सरकार के अन्य विभाग जैसे सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग, तहसील कार्यालय व उससे सम्बन्धित राजस्व कार्यालय, खण्ड विकास कार्यालय आदि में कुल 806 कर्मचारी कार्यरत हैं जो कार्यालयों में कार्यरत कुल कर्मचारियों का लगभग 17.4 प्रतिशत है तथा नगर में स्थित कुल कार्यालयों का 56.3 प्रतिशत है। नगर में अर्द्धशासकीय व स्वायत्तशासी कार्यालयों की संख्या 11 है, जो कुल कार्यालयों का लगभग 34.3 प्रतिशत है। इन कार्यालयों के अर्न्तगत जल संस्थान, जल निगम, विद्युत परिषद, नगर पालिका, राजकीय निर्माण निगम, मण्डी समिति आदि कार्यालय मुख्य रूप से सम्मिलित हैं। केन्द्र सरकार के कार्यालय रोजगार की दृष्टि से अपेक्षाकृत बड़े हैं। इसी कारण से इन कर्मचारियों के अन्तर्गत लगभग 3680 कर्मचारी कार्यरत हैं, जो कुल कर्मचारियों का लगभग 79.6 प्रतिशत है।

तालिका संख्या 7.1
विनियमित क्षेत्र काशीपुर में कार्यालयों की स्थिति
(1993–94)

क्र.सं	कार्या0	कार्यालयों की सं0	कुल कार्या0 की सं0	कर्मचारियों की संख्या श्रेणी अनुसार						कर्म0 का %	स्वामित्व में भूमि (वर्ग0 मी0 में)
				प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी	चतुर्थ श्रेणी	तकनीकी कर्म0	योग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	केन्द्र सरकार	3	9.4	–	2	65	26	47	140	3.0	498.00
2.	राज्य सरकार	18	56.3	6	19	414	354	13	806	17.4	7873.00
3.	अर्द्ध शासकीय	11	34.3	13	38	405	351	2873	3680	79.6	8001.00
	योग	32	100.00	19	59	884	731	2933	4626	100.00	—.

स्रोत : विभागीय सर्वेक्षण 1993.94

Scanned with CamScanner

7.3 कार्यालय सुविधा :

काशीपुर विनियमित क्षेत्र के अर्न्तगत कार्यालयों की प्रमुख समस्या पर्याप्त स्थान का अभाव एवं कार्यालय भवनों का कार्यालय प्रयोग के अनुरूप न होना है। विनियमित क्षेत्र के अन्तगत अधिकांश कार्यालय आवासीय भवनों में किराये पर हैं। आवासीय आवश्यकता हेतु निर्मित इन भवनों में कार्यालय हेतु वाँछित सुविधाओं का अभाव होने के साथ–साथ स्थान की अपर्याप्तता कार्यालयों की प्रमुख समस्या है। नगर में कार्यालय व आवास स्थलों में सामंजस्य का भी अभाव है। अधिकांश कार्यालयों के पास निजी भवन तथा कर्मचारियों के लिए आवासीय परिसर नहीं हैं। अतः अधिकांश कर्मचारी किराये के भवनों में अपने कार्यालयों से दूरस्थ स्थित होने के कारण कार्यालय व आवासीय क्षेत्रों में आवास–कार्यस्थलों के अन्तरसम्बन्धों में परस्परता एवं सामंजस्य के अभाव के कारण आवागमन की समस्यायें प्रायः बनी रहती हैं। अतः आवासीय तथा कार्यस्थलों के आपसी लिंकेज को अधिक सुचारू एवं व्यवस्थित करना भावी नगरीय क्षेत्र के नियोजित विकास की दृष्टि से उचित ही नहीं अपितु आवश्यक भी हो जाता है।

Scanned with CamScanner

अध्याय – 8

सामुदायिक सुविधायें

8.1 सामुदायिक सुविधायें :

किसी भी नगर के भौतिक एवं आर्थिक विकास में सामुदायिक सुविधाओं का विशिष्ट महत्व होता है। यह सुविधायें न केवल नागरिकों के जीवन स्तर को ही ऊँचा उठाती, अपितु सामाजिक एवं साँस्कृतिक विकास को भी प्रोत्साहित करती हैं। काशीपुर जैसे ऑद्योगिक नगर में इन सुविधाओं का महत्व अन्य नगरों की अपेक्षा अधिक है। इस नगर में उपलब्ध शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन आदि अनेक सुविधाओं का अध्ययन नगर की भावी जनसंख्या की वृद्धि को ध्यान में रखकर किया जाना आवश्यक होगा। यद्यपि काशीपुर में सामुदायिक सुविधाओं का विकास हुआ है परन्तु बढ़ते नगरीयकरण एवं भौतिक विस्तार के फलस्वरूप सामुदायिक सुविधाओं का जिस स्तर का विकास होना वाँछित था उस स्तर का विकास नहीं हो पाया है। अतः सीमित सुविधाओं पर अत्यधिक दबाव पड़ना स्वाभाविक है।

8.2 शिक्षा :

काशीपुर एक प्रमुख औद्योगिक नगर होने के साथ–साथ अपने निकटवर्ती क्षेत्र की शैक्षिक आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति हेतु एक महत्वपूर्ण शैक्षिक केन्द्र भी है। यहाँ पर विभिन्न स्तर की लगभग 53 शिक्षा संस्थायें हैं, जिनमें 28 प्राईमरी स्तर के, 17 जूनियर हाई स्कूल, 4 इण्टरमीडियेट कालेज, 1 महाविद्यालय, 1 पालीटेक्निक कालेज तथा 2 औद्योगिक शिक्षा संस्थान हैं। इनके अतिरिक्त नगर में आलू व गन्ना शोध केन्द्र भी स्थापित किये गये हैं। विद्यालयों में वर्तमान में 17,656 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं जो कुल जनसंख्या का लगभग 20 प्रतिशत है। कुल विद्यार्थियों में से 58.4 प्रतिशत छात्र एवं 41.6 प्रतिशत छात्रायें हैं। विद्यालयों की श्रेणी के अनुसार कुल विद्यार्थियों का 40.2 प्रतिशत मात्र प्राईमरी स्कूल, 24.1 प्रतिशत जूनियर हाईस्कूल, 21.3 प्रतिशत माध्यमिक विद्यालय, 10.4 प्रतिशत स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालय तथा 4.0 प्रतिशत प्राविधिक विद्यालयों में अध्ययनरत हैं।

8.3 चिकित्सालय :

वर्तमान समय में काशीपुर नगर में एक सामान्य चिकित्सालय है, जिसमें महिला एवं परिवार कल्याण केन्द्र भी सम्मिलित है तथा दो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्यरत हैं। राजकीय चिकित्सालय में वर्तमान समय में 13 चिकित्सक, 19 नर्सें तथा 4 फार्मासिस्ट हैं। यहाँ पर प्रतिदिन 200 से अधिक रोगी अपना इलाज कराते हैं। चिकित्सा सुविधा के अर्न्तगत यहाँ पर 100 शय्यायें उपलब्ध हैं। राजकीय चिकित्सालय/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के अतिरिक्त नगर में पर्याप्त संख्या में नर्सिंग होम व डिस्पेन्सरी भी कार्यरत हैं। उपरोक्त सुविधायें नगर एवं इसके निकटवर्ती क्षेत्रों की स्वास्थ्य सुविधाओं की प्रतिपूर्ति करती हैं।

8.4 मनोरंजन सुविधायें :

काशीपुर नगर में एक स्पोर्टस स्टेडियम है जो खेल कूद का महत्वपूर्ण स्थल है। स्टेडियम का कुल क्षेत्रफल लगभग 4.66 हैक्टेयर है। इस स्टेडियम के अतिरिक्त विद्यालयों के पास भी अपने पृथक क्रीड़ा स्थल हैं। नगर में पार्कों की संख्या 6 है जिनमें पन्त पार्क, पालिका पार्क तथा आवास विकास कालोनी पार्क प्रमुख हैं। इन पार्कों के अर्न्तगत

Scanned with CamScanner

वर्तमान में कुल लगभग 0.8 हैक्टेयर भूमि है।

छविगृहों के अन्तर्गत नगर में वर्तमान समय में 4 छविगृह हैं जो नगर के विभिन्न भागों में स्थित हैं। छविगृहों हेतु मानकानुसार प्रत्येक 25,000 जनसंख्या पर एक छविगृह के अनुसार भावी जनसंख्या हेतु कुल तीन अतिरिक्त छविगृहों की आवश्यकता होगी तथा इस हेतु लगभग 1.0 हैक्टेयर भूमि का प्रावधान महायोजना के वाणिज्यक भू–उपयोग में किया जाना आवश्यक होगा।

मनोरंजन सुविधाओं के अतिरिक्त अन्य सामुदायिक सुविधायें जैसे – बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन, पुस्तकालय व वाचनालय आदि की भी यद्यपि आवश्यकता है परन्तु इस प्रकार की व इस स्तर की सुविधाओं को पृथक रूप से महायोजना में विभिन्न भू–उपयोगों के अन्तर्गत प्राविधान किया जाना सम्भव नहीं है। अतः इन सुविधाओं हेतु आवश्यक प्राविधान विभिन्न यूज जोन, विशेषकर आवासीय यूज जोन के परिक्षेत्रीय विनियमों में कर दिया जायेगा।

8.5 धार्मिक एवं साँस्कृतिक :

काशीपुर नगर की धार्मिक महत्वता अपने शैशव काल से ही रही है। पहले इसको "गोविष्ण" के नाम से जाना जाता था जिसका बाद में नाम काशीपुर पड़ा। चीनी यात्री ह्वेनसांग यहाँ पर लगभग 16 वर्ष तक रहे। उनके अनुसार यहाँ पर अनेक बौद्धमठ तथा मन्दिर थे। वर्तमान समय में यहाँ पर बौद्धमठ तो नहीं हैं, परन्तु यहाँ पर लगभग 65 मन्दिर विद्यमान हैं जिसमें उज्जैन देवी का मन्दिर, सती नारियों का स्मारक, भूतेश्वर का मन्दिर, मुक्तेश्वर मंदिर, नागनाथ मंदिर, जागेश्वर मन्दिर आदि प्रमुख हैं। गुरूद्वारों की संख्या भी यहाँ काफी है जिनमें से एक गुरूगंज में तथा दूसरा पक्काकोट में स्थित है। मस्जिदों की संख्या नगर में लगभग 18 है, जो नगर के विभिन्न मोहल्लों में स्थित है। इसके अलावा काजीबाग में एक चर्च भी स्थित है। ढेला नदी के पास एक शमशान घाट, कब्रिस्तान तथा महेशपुरा और जसपुर खुर्द में कब्रिस्तान है।

8.6 अन्य सुविधायें :

विभागीय सर्वेक्षण के अनुसार नगर में एक मुख्य डाकघर तथा दो उप–डाकघर हैं। मुख्य डाकघर को छोड़कर दोनों उप–डाकघर किराये के भवन में कार्यरत हैं। नगर में वर्तमान में एक दूर संचार केन्द्र भी है जिसमें 1260 टेलीफोन कनेक्शन हैं। इन कनेक्शनों में से 1,181 व्यक्तिगत कनेक्शन, 54 कार्यालय कनेक्शन तथा 25 सार्वजनिक कनेक्शन हैं। इसके अतिरिक्त 14 एस0 टी0 डी0 कनेक्शन भी दूरसंचार विभाग द्वारा पूर्व में दिये गये हैं जिनकी संख्या में वर्तमान में और भी वृद्धि हुई है। नगर में एक पुलिस थाना (कोतवाली) है तथा एक पुलिस चौकी कटोराताल में स्थित है। इसके अलावा एक अतिरिक्त उप–अधीक्षक का कार्यालय भी नगर में स्थित है। अग्निशमन सेवा के अर्न्तगत वर्ष 1984 में बाजपुर मार्ग पर अग्निशमन केन्द्र की स्थापना हुई जिसके अधीन 3 अग्निशमन मोटर व एक जीप है।

8.7 उपयोगितायें :

मानव जीवन में उपयोगितायें व सेवाओं का विशिष्ट महत्व है। इन सेवाओं के अर्न्तगत मुख्य रूप से जलापूर्ति, विद्युत आपूर्ति एवं मल निकास सुविधा है।

8.7:1 जलापूर्ति :

नगर में जलापूर्ति का मुख्य स्रोत नलकूप हैं। यहाँ पर जल भण्डारण टैंकों की संख्या 2 है जिनकी जल भण्डारण क्षमता क्रमशः 1750 एवं 350 कि0 ली0 है। पानी की खपत प्रतिदिन 75 लीटर प्रति व्यक्ति है। पानी की आवश्यकता 12 एम0एल0डी0 है जबकि वर्तमान उत्पादन 6.0 एम0 एल0डी0 है। अतः 6 एम0 एल0 डी0 पानी का उत्पादन कम हो रहा है।

Scanned with CamScanner

नगर में कुल 5228 कनेक्शन हैं।

8.7:2 मल निकास :

महायोजना में काशीपुर नगर को वर्ष 2011 तक पूर्णतया सीवरेज लाईन से जोड़ने का प्राविधान है। वर्तमान समय में नगर में 8.5 कि0 मी0 सीवरेज लाईन प्रथम चरण में पड़ चुकी है तथा द्वितीय चरण में 12,321 मि0 मी0 सीवरेज लाईन डालने का प्राविधान हैं, इसमें से 9.103 मि0 मी0 सीवरेज लाईन पड़ चुकी है, तथा 3,218 कि0 मी0 लाईन द्वितीय चरण में पड़नी शेष है। सीवरेज फार्म हेतु मुरादाबाद रोड पर ढेला नदी के पास 40 हैक्टेयर भूमि विकसित की गई है।

8.7:3 विद्युत आपूर्ति :

काशीपुर नगर में विद्युत आपूर्ति 132 के0 वी0 सब स्टेशन से होती है। नगर में कुल कनेक्शनों की संख्या 20,772 है जिनमें विद्युत कनेक्शनों की संख्या 16,000 है तथा लगभग 4,000 व्यावसायिक कनेक्शन हैं। नगर में स्ट्रीट लाईट कनेक्शनों की संख्या 22 है तथा औसतन विद्युत खपत लगभग 8 लाख यूनिट प्रतिदिन होती है।

Scanned with CamScanner

अध्याय – 9

यातायात

9.1 यातायात एवं परिवहन :

किसी भी नगर के भौतिक विकास में यातायात एवं परिवहन प्रणाली अपना विशिष्ट स्थान रखती है। इससे नगर की आर्थिक एवं सामाजिक क्रियाओं में एक आपसी अन्तर सम्बन्ध स्थापित होता है जो इन क्रियाओं के विकास एवं विस्तार हेतु प्रभावी रूप से सहायक होता है। अतः नगर के विभिन्न भू–उपयोगों में सामंजस्य बनाये रखने हेतु वर्तमान यातायात प्रणाली की समीक्षा करना आवश्यक है।

9.2 परिवहन संरचना :

काशीपुर नगर रेल मार्ग तथा सड़क मार्ग द्वारा प्रदेश व देश के सभी प्रमुख नगरों से सम्बद्ध है। इसके निकट पन्तनगर में हवाई पट्टी है, जहाँ से सप्ताह में दो बार दिल्ली के लिये हवाई सेवा (वायुदूत) उपलब्ध है।

9.3 रेल यातायात :

रेल यातायात के माध्यम से यह नगर बड़ी रेल लाईनों द्वारा प्रदेश व देश के विभिन्न नगरों से सम्बद्ध है। एक रेल लाईन द्वारा यह नगर लालकुँआ, बरेली, लखनऊ से तथा दूसरी बड़ी लाईन से रामनगर, रामपुर, मुरादाबाद, देहरादून व देश की राजधानी दिल्ली से सीधे सम्बद्ध है। अतः रेल द्वारा प्रतिदिन काफी संख्या में यात्रियों का आना–जाना होता है। इसके अतिरिक्त काशीपुर नगर का निकटवर्ती क्षेत्र सघन कृषि प्रधान व अत्यन्त उपजाऊ है। यहाँ पर अनाज की एक वृहत्त मण्डी भी है। अतः यहाँ से खाद्यान्नों को रेल द्वारा प्रदेश व देश के विभिन्न नगरों को भेजा जाता है। बाहर से यहाँ पर कृषि से सम्बन्धित उपकरण व खाद तथा अन्य आवश्यक कच्चा माल व अन्य वस्तुऐं रेल द्वारा आयात होती हैं।

9.4 सड़क यातायात :

यह नगर सड़क परिवहन तंत्र से प्रदेश व देश के विभिन्न नगरों से सम्बद्ध है। यहाँ से उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम की लगभग 40 बसें प्रतिदिन प्रदेश व देश के विभिन्न महत्वपूर्ण नगरों को जाती हैं। इसके अतिरिक्त लगभग 170 बसें प्राईवेट तथा हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान परिवहन निगमों की भी नगर से होकर आती–जाती हैं। प्राईवेट बसें प्रमुख रूप से ग्रामीण अंचलों को व निकटवर्ती तराई क्षेत्र के प्रमुख कस्बों व नगरों को काशीपुर नगर से सम्बद्ध करने में अति महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह कर रही हैं।

नगर के भावी स्वरूप को सुव्यवस्थित ढंग से विकसित करने के लिए नगर की वर्तमान मार्ग संरचना का अध्ययन करना नितान्त आवश्यक है, क्योंकि भावी विकास की रूपरेखा का निर्धारण वर्तमान मार्ग संरचना पर निर्भर करता है।

9.5 वर्तमान मार्ग संरचना :

सड़क यातायात का नगर के भौतिक एवं आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। नगर में मार्गों की संरचना उसके विकास के स्वरूप को प्रभावित करती है। काशीपुर में मार्गों का प्रबन्ध मुख्यतः दो विभागों–लोक निर्माण विभाग और नगर पालिका परिषद के अधीन है। नगर सीमा के अर्न्तगत प्रमुख मार्गों के रख–रखाव का दायित्व लोक निर्माण विभाग का है जबकि अन्य मार्गों का रख रखाव

Scanned with CamScanner

नगरपालिका का है। काशीपुर नगर में वर्तमान मार्ग संरचना का विवरण निम्नवत् है।

9.5.1 राष्ट्रीय राजमार्ग :

9.5 1.1 हरिद्वार–बरेली मार्ग :

यह राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या – 74 है जिसे जसपुर–काशीपुर– बाजपुर मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। नगरपालिका सीमा द्रोणसागर कैनाल तक इसकी लम्बाई लगभग 2.30 कि0 मी0 है तथा मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई लगभग 7 मीटर तथा अधिकतम चौड़ाई लगभग 10 मीटर है।

9.5.2 प्रादेशिक राजमार्ग :

9.5.2.1 टिहरी–मुरादाबाद मार्ग :

यह राष्ट्रीय राज़मार्ग संख्या –41 है, जो काशीपुर को रामनगर व मुरादाबाद से सम्बद्ध करता है। काशीपुर नगर पालिका सीमा तक इस मार्ग की लम्बाई लगभग 3 कि0 मी0 है तथा इसकी चौड़ाई न्यूनतम लगभग 9 मीटर एवं अधिकतम लगभग 22 मीटर है।

9.5.2.2 काशीपुर–मुरादाबाद मार्ग :

यह मार्ग प्रादेशिक राजमार्ग संख्या – 41 का ही एक भाग है जो काशीपुर को मुरादाबाद नगर से सम्बद्ध करता है। नगरपालिका सीमा ढेला नदी तक इस मार्ग की लम्बाई 2.20 कि0मी0 है तथा इसकी न्यूनतम चौड़ाई लगभग 6 मीटर तथा अधिकतम चौड़ाई लगभग 22 मीटर है।

तालिका संख्या 9.1

काशीपर नगरीय क्षेत्र के प्रमुख मार्गों की चौड़ाई सम्बन्धी विवरण

क्र. सं.	मार्ग का नाम	मार्ग की वर्तमान औसत चौड़ाई
1.	**राष्ट्रीय राजमार्ग:**	
	1. काशीपुर–बाजपुर मार्ग	18.28 मी0 से 24.40 मी0 तक
2.	**प्रादेशिक राजमार्ग :**	
	1. काशीपुर–मुरादाबाद मार्ग	21.33 मी0 से 45.70 मी0 तक
	2. काशीपुर–रामनगर मार्ग	21.33 मी0 से 45.70 मी0 तक
3.	**स्थानीय मार्ग :**	
	1. काशीपुर–दढ़ियाल मार्ग	7 मी0 से 10 मी0 तक
	2. काशीपुर–अलीगंज मार्ग	9 मी0 से 11 मी0 तक
	3. काशीपुर–शुगर फैक्ट्री मार्ग	11 मी0
	4. अनाज मण्डी–चैती मेला मार्ग	9 मी0
	5. काशीपुर–मानपुर मार्ग	9 मी0
	6. काशीपुर–स्टेडियम मार्ग	9 मी0
	7. काशीपुर–शमशान घाट मार्ग	9 मी0

9.5.3 स्थानीय / नगरीय मार्ग :

स्थानीय मार्ग के अन्तर्गत वे मार्ग हैं जो नगरपालिका सीमा के अर्न्तगत विभिन्न मार्गों व स्थलों को सम्बद्ध करते हैं। इनमें कुछ प्रमुख मार्ग निम्नवत हैं।

9.5.3:1 काशीपुर दढ़ियाल मार्ग :

इस मार्ग को खड़कपुर– देवीपुरा मार्ग के नाम से भी जाना जाता हैं इसकी लम्बाई लगभग 11 कि0 मी0 तथा इसकी न्यूनतम चौड़ाई लगभग 7 मीटर तथा अधिकतम चौड़ाई लगभग 10 मीटर है।

Scanned with CamScanner

9.5.3:2 काशीपुर – अलीगंज मार्ग :

इस मार्ग की लम्बाई 1 कि0 मी0 है तथा चौड़ाई 9 मीटर से लेकर 11 मीटर तक है।

9.5.3:3 काशीपुर–शुगर फैक्ट्री मार्ग :

इस मार्ग को ललिता देवी मार्ग भी कहते हैं। इसकी लम्बाई 2.2 कि0 मी0 है तथा चौड़ाई 11 मीटर हैं

9.5.3:4 अनाज मण्डी–चैती मेला मार्ग :

इस मार्ग को जसपुर खुर्द मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। इसकी लम्बाई 3 कि0 मी0 है तथा चौड़ाई 9 मीटर है।

9.5.3:5 काशीपुर–मानपुर व स्टेडियम मार्ग :

इस मार्ग की लम्बाई 0.850 कि0 मी0 है तथा इसकी चौड़ाई 9 मीटर है।

9.5.3:6 काशीपुर–शमशान घाट मार्ग (प्रस्तावित) :

इस मार्ग की लम्बाई 1 कि0 मी0 है तथा चौड़ाई 9 मीटर है। यह मार्ग अभी कच्चा है, जो कि लोक निर्माण विभाग द्वारा एक प्रस्तावित मार्ग है।

उपरोक्त वर्णित मार्गों के अतिरिक्त नगर के अन्दर विद्यमान अन्य मार्ग नगरपालिका के स्वामित्वाधीन हैं।

9.6 बस अड्डा :

नगर में वर्तमान में तीन बस अड्डे हैं। एक बस अड्डा उत्तर प्रदेश राजकीय परिवहन निगम का है जो काशीपर–बाजपुर रोड पर रेलवे स्टेशन के निकट है। दो बस अड्डे प्राइवेट हैं जिनमें एक बस अड्डा काशीपुर–ठाकुरद्वारा मार्ग पर और दूसरा बस अड्डा बाजपुर रोड पर स्थित है जो वर्तमान में अस्थाई रूप में है।

काशीपुर में बस सेवायें सभी स्थानों के लिए उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के काशीपुर डिपो में लगभग 40 बसें हैं, इसके अतिरिक्त बाहर से आने–जाने वाली बसें भी यहाँ रूकती हैं। अतः औसतन लगभग प्रत्येक आधे घण्टे के अन्तराल में यात्रियों को बस सेवायें उपलब्ध होती हैं।

9.7 यातायात एवं परिवहन की समस्यायें :

नगर के भौतिक विकास के साथ–साथ यातायात के संसाधनों की संख्या में भी तीव्र गति से वृद्धि हुई है। अतः यातायात हेतु वर्तमान मार्गों पर हो रहे अतिक्रमणों व नगरीय क्रियाकलापों के "स्पिल–ओवर" के परिणामस्वरूप मार्गों का, व्यवहारिक दृष्टि से प्रयोजन के संदर्भ में, संकरे होने के कारण तथा यातायात के बढ़ते हुये साधनों का अधिक भार वहन करने के कारण मार्गों पर अनावश्यक दबाव बढ़ रहा है तथा सुचारू यातायात हेतु यह मार्ग अक्षम हो रहे हैं। मार्गों पर वाहनों के अनावश्यक जमाव व दबाव तथा आफ स्ट्रीट पार्किंग स्थलों के अभाव के कारण नगर की परिवहन प्रणाली विकृत हो गई है। जिसके फलस्वरूप नगर में यातायात से सम्बन्धित निम्न समस्यायें उत्पन्न हुई।

1. मार्गों पर अतिक्रमण की समस्या।
2. बाजपुर व रामनगर मार्ग पर प्राईवेट बसों के लिए व्यवस्थित बस अड्डे का न होना।
3. पर्याप्त पार्किंग स्थलों की समस्या।
4. सुचारू परिवहन व्यवस्था की समस्या।

Scanned with CamScanner

अध्याय – 10

वर्तमान भू–उपयोग

10.1 भू–उपयोग :

काशीपुर नगर के भौतिक विकास को सुव्यवस्थित एवं नियोजित दिशा प्रदान किये जाने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि नगर के वर्तमान भू–उपयोग का व्यापक अध्ययन कर, इससे सम्बन्धित समस्याओं तथा आवश्यकताओं का आंकलन किया जाये। इसके निष्कर्षों के आधार पर ही महायोजना सीमान्तर्गत उपलब्ध सीमित भूमि में विभिन्न भू–उपयोगों के प्रस्ताव इस प्रकार अभिकल्पित किये जायें कि वर्तमान अनियंत्रित भौतिक विस्तार जनित प्रतिकूल प्रभावों के निराकरण के साथ–साथ भौतिक विकास की भावी आवश्यकताओं के अनुरूप महायोजना अवधि में नगर का विकास सुव्यवस्थित रूप से हो सके।

महायोजना प्रस्ताव में इस बात का भी ध्यान दिया जाना आवश्यक हो जाता है कि प्रत्येक भू–उपयोग जैसे– कार्यालय, आवास, मनोरंजन, सामुदायिक सुविधायें आदि आपस में संगठित रहने के साथ–साथ नगरीय पर्यावरण संरक्षण भी सुनिश्चित किया जा सके।

10.2 वर्तमान भू–उपयोग :

काशीपुर नगर एक सघन आबादी वाला क्षेत्र है। नियोजित नीति के अभाव में इस नगर का विकास अव्यवस्थित एवं अनियोजित रूप से प्रमुख मार्गों के दोनों पार्श्वों में पट्टिका के रूप में होता रहा है। नगर के वर्तमान भू–उपयोग अध्ययन हेतु विभागीय भौतिक सर्वेक्षण से विदित होता है कि अन्य नगरों की तरह काशीपुर नगर भी मिश्रित भू–उपयोग के स्वरूप में विकसित हुआ है।

काशीपुर विनियमित क्षेत्र, जिसमें काशीपुर नगर परिषद क्षेत्र भी सम्मिलित है, के अन्तर्गत कुल 9,773.3 हैक्टेयर भूमि है, जिसको मुख्यतः निर्मित और खुले क्षेत्र के रूप में विभक्त किया गया है। निर्मित क्षेत्र के अन्तर्गत आवासीय, वाणिज्य कार्यालय, उद्योग, यातायात, सामुदायिक सुविधायें एवं सेवायें आदि हैं। खुले क्षेत्र में मुख्यतः कृषि, बाग, बंजर भूमि, नाले, नहर, तालाब आदि भी सम्मिलित हैं, जिनका उपयोग नगर के भावी संभावित विकास हेतु किया जा सकता है। वर्तमान निर्मित क्षेत्र के अर्न्तगत 997.6 हैक्टेयर भूमि है, जो कुल क्षेत्र का 10.2 प्रतिशत है। सर्वेक्षण के अनुसार काशीपुर विनियमित क्षेत्र के अर्न्तगत विद्यमान भू–उपयोगों का विवरण तालिका संख्या 10.1 में निरूपित किया गया है।

तालिका संख्या 10.1
काशीपुर विनियमित क्षेत्र–वर्तमान भू–उपयोग

क्र. सं.	भू–उपयोग	क्षेत्रफल (है0)		प्रतिशत
(क)	**निर्मित क्षेत्र**	**997.6**		**10.2**
	1. आवासीय :	**311.1**		**31.2**
	(अ) निर्मित आवासीय क्षेत्र	242.8	24.3	
	(ब) ग्रामीण आबादी	68.3	6.9	
	2. वाणिज्य :	**51.4**		**5.2**
	(1.) फुटकर वाणिज्य	36.8	3.7	
	(2.) पेट्रोल पम्प/छविगृह	1.9	0.2	
	(3.) थोक बाजार	11.7	1.2	
	(4.) भण्डारण	01.0	0.1	
	3. कार्यालय	**12.1**		**1.2**
	4. उद्योग	**142.6**		**14.3**
	5. सामुदायिक सुविधायें :	**049.6**		**5.0**
	(1.) शैक्षिक	30.4	3.0	
	(2.) प्राविधिक	9.6	1.0	

Scanned with CamScanner

(3.) अनुसंधान केन्द्र		5.2		0.5
(4.) चिकित्सा सुविधा		4.4		0.4
6. उपयोगितायें एवं सेवायें		**31.5**		**3.2**
(1.) पार्क/क्रिड़ास्थल	5.5		0.5	
(2.) विश्राम गृह	2.4		0.2	
(3.) उपासना स्थल	1.3		0.1	
(4.) डाकघर	0.9		0.1	
(5.) पुलिस स्टेशन	0.8		0.08	
(6.) जेल	0.3		0.03	
(7.) अग्निशमन	1.0		0.1	
(8.) विद्युत केन्द्र/उपकेन्द्र	1.6		0.2	
(9.) सीवेज फार्म	3.1		0.3	
(10.) कब्रिस्तान/शमशान	14.6		1.5	
7. संरक्षित/सॉंस्कृतिक स्थल		**68.0**		**6.8**
8. यातायात एवं परिवहन		**331.3**		**33.2**
(अ) बस अड्डा	2.30		0.2	
(ब) वर्तमान मार्ग/अन्य मार्ग	228.4		22.9	
(स) रेलवे भूमि	100.6		10.1	
9. खुले क्षेत्र		**8775.7**		**89.9**
(अ) कृषि /बंजर/खुल क्षेत्र	8639.8		98.5	
(ब) बाग	53.9		0.6	
(स) नदी/नाले/नहर	82.0		0.9	
योगः		**9773.3**		**100.0**

10.2.1 आवासीय :

काशीपुर में कुल 311.1 हैक्टेयर भूमि आवासीय उपयोग के अन्तर्गत है जो कुल निर्मित क्षेत्र का 31.2 प्रतिशत है। नगर के मध्य का भाग घनी आबादी वाला क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त काशीपुर–बाजपुर मार्ग, अलीगंज मार्ग, मुरादाबाद मार्ग व रामनगर मार्ग के सन्निकट भी सघन व विरल आवासीय क्षेत्रों का विकास व विस्तार हो रहा है।

10.2.2 वाणिज्य :

काशीपुर का विकास प्रारम्भ काल से ही एक व्यापारिक केन्द्र के रूप में हुआ है। वर्तमान में नगर के आन्तरिक मार्गों व प्रमुख क्षेत्रीय मार्गों के दोनों पार्श्वों में वाणिज्य उपयोग विद्यमान है। वाणिज्य उपयोग के अर्न्तगत जिसमें थोक व्यापार, भण्डारागार, फुटकर व्यापार, पेट्रोल पम्प, होटल, बैंक, छविगृह आदि सम्मिलित हैं, के उपयोग में कुल 51.4 हैक्टेयर भमि है जो कुल निर्मित क्षेत्र का 5.2 प्रतिशत है।

नगर का मध्यवर्ती भाग व्यापारिक क्रियाकलापों का मुख्य केन्द्र है। इसके अतिरिक्त मुरादाबाद मार्ग, अलीगंज मार्ग, रामनगर मार्ग व बाजपुर मार्ग के पार्श्वों में प्रमुख वाणिज्य स्थल स्थापित है। इन स्थलों में माल उतारने व चढ़ाने के स्थलों का संकुचन, पार्किंग स्थलों व मार्गों पर व्यापारिक इकाईयों द्वारा अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण करने से यातायात की सुचारू परिचलन प्रणाली में अवरोध उत्पन्न होता है। आवासीय एवं व्यापारिक उपयोगों का जटिल मिश्रण भी पर्यावरण की समस्या उत्पन्न करते हैं।

10.2.3 कार्यालय :

काशीपुर जनपद उधमसिंहनगर का एक महत्वपूर्ण तहसील मुख्यालय है। अतः यहाँ पर तहसील स्तर के विभिन्न कार्यालयों के साथ–साथ केन्द्र एवं राज्य सरकार के अनेक महत्वपूर्ण कार्यालय भी स्थित हैं। विभागीय सर्वेक्षण के अनुसार वर्तमान समय में कार्यालय उपयोग के अर्न्तगत 12.1 हैक्टेयर भूमि है, जो कुल निर्मित क्षेत्र का 1.2 प्रतिशत है।

10.2.4 उद्योग :

औद्योगिक दृष्टि से काशीपुर नगर कुमायूँ मण्डल का एक प्रमुख औद्योगिक नगर है। स्वतंत्रता के पश्चात 7वें और 8वें दशकों में यहाँ पर उद्योग धन्धों का तीव्र विकास हुआ। कुटीर उद्योगों के अलावा यहाँ पर लघु एवं वृहत्त उद्योगों की भी स्थापना हुई। लघु एवं वृहत्त उद्योग धन्धों के अर्न्तगत चीनी मिल को छोड़कर अन्य प्रमुख उद्योग नगरपालिका सीमा से बाहर विभिन्न मार्गों जैसे– काशीपुर–बाजपुर मार्ग, रामनगर–ठाकुरद्वारा मार्ग, जसपुर तथा अलीगंज मार्ग के दोनों

Scanned with CamScanner

पार्श्वों में स्थापित हैं। वर्तमान में औद्योगिक इकाईयों के अर्न्तगत कुल 142.6 हैक्टेयर भूमि है जो कुल निर्मित क्षेत्र का 14.3 प्रतिशत है।

10.2.5 यातायात एवं परिवहन :

काशीपुर नगर मुख्यतः रेल व सड़क यातायात से प्रदेश व देश के विभिन्न नगरों से सम्बद्ध है। वर्तमान में महायोजना क्षेत्र में यातायात परिवहन के अर्न्तगत 331.3 हैक्टेयर भूमि है जो कुल निर्मित क्षेत्र का 33.2 प्रतिशत है। उक्त यूज जोन में से 100.6 हैक्टेयर भूमि रेल यातायात तथा 2.30 हैक्टेयर भूमि बस अड्डा एवं सड़क यातायात के अन्तर्गत है।

10.2.6 संरक्षित/सांस्कृतिक क्षेत्र :

नगर के अन्तर्गत प्राचीनतम ऐतिहासिक एवं पुरातत्व महत्व के स्थल विद्यमान हैं जिनकों संरक्षित किया जाना अपरिहार्य है। यहाँ पर गोविष्णा राष्ट्रीय महत्व का पुरातत्व स्थंल काशीपुर देहात के सन्निकट द्रोणसागर से लगा है। जनरल कनिंघम ने इस पुरातत्व स्थल की पहचान चीन यात्री ह्वेनसांग के विवरण में उल्लिखित क्यू0 पी0 खागन नामक स्थल से की थी। यह पुरातत्व स्थल नगर दुर्ग की रूपरेखा प्रस्तुत करता है, और इसकी किलेबंदी अभी भी स्पष्ट है। स्थल के मध्य भाग में एक ऊँचा टीला था, जिसे भीमगंज या भीमगदा कहते थे। वर्ष 1939.40 में श्री कृष्णदेव ने काशीपुर के तत्कालीन सबडिविजनल मजिस्ट्रेट श्री रामेश्वर दयाल के सक्रिय सहयोग से उत्खनन कार्य किया था जिसमें दीवारों के अंश, मूण्मूर्तियाँ तथा मृदमाण्ड प्रकाश में आये थे। वर्ष 1960 में श्री के0 पी0 नौटियाल ने यहाँ से एक अभिलेखयुक्त त्रिविकम की प्रतिमा खोजी थी जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। श्री वाई0 डी0 शर्मा के निर्देशन में इस पुरातत्व स्थल में वर्ष 1965.66 और वर्ष 1970.71 में उत्खनन कार्य से इस टीले में एक ईंट निर्मित मन्दिर के अवशेष प्रकाश में आए, जिसके सम्बन्ध में अनुमान था कि यह मन्दिर गुप्तकाल के प्रारम्भिक चरण में अस्तित्व में आया। जैसा कि तरासी गई ईंटों और उन पर रचित अलंकरणों से विदित हुआ। तत्पश्चात् इस मन्दिर के स्वरूप और आकार में दो बार परिवर्तन और परिवर्द्धन किये गये जो कि छठवीं और सातवीं शताब्दी के दौरान घटित हुए। यह मंदिर लगभग तेरहवीं शताब्दी तक भली भाँति चलता रहा।

उत्खनन के दौरान चित्रित धूसरयाण्ड (पेटेण्ट ग्रवेअर) तथा उत्तरी चमकीले मोड (नार्दन ब्लैक पासिराड वेअर) भी प्राप्त हुए जो कि इस पुरातत्व स्थल की प्राचीनता एवं कालक्रम की बोधगम्यता के परिचायक हैं।

वर्तमान में इस स्थल के चारों ओर निर्माणों के अतिक्रमण से यह स्थल संकुचित होता जा रहा हैं अतः इस स्थल का संरक्षण एवं रख–रखाव अपरिहार्य है।

महायोजना में संरक्षित एवं साँस्कृतिक क्षेत्रों के अन्तर्गत कुल 68.00 हैक्टेयर भूमि हैं जिसमें संरक्षित स्थल के अन्तर्गत राष्ट्रीय महत्व का गोविष्णा किला क्षेत्र है जो लगभग 43.8 हैक्टेयर भू–क्षेत्र को समाहित किये हुए है तथा शेष क्षेत्र अन्य साँस्कृतिक स्थलों को सम्मिलित किये हुए है।

10.2.7 सामुदायिक सुविधायें :

सामुदायिक सुविधायें नागरिक जीवन के लिए परम आवश्यक हैं। नगर की आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक विकास के साथ–साथ इन सुविधाओं एवे सेवाओं का उपयोग भी आवश्यक है। इन सुविधाओं के अन्तर्गत मुख्य रूप से शिक्षा व स्वास्थ्य सम्मिलित हैं। काशीपुर नगर में वर्तमान समय में इन सुविधाओं के अर्न्तगत 49.6 हैक्टेयर भूमि है जो कुल निर्मित क्षेत्रफल का 5.0 प्रतिशत है। उक्त क्षेत्र में से लगभग

Scanned with CamScanner

45.2 हैक्टेयर भूमि शैक्षिक सुविधाओं के अर्न्तगत है। जिसमें प्राईमरी स्कूल, जूनियर हाई स्कूल, इण्टर कालेज, स्नातकोत्तर महाविद्यालय, प्राविधिक संस्थान एवं अनुसंधान केन्द्र मुख्य रूप से सम्मिलित हैं। चिकित्सा सुविधा के अन्तर्गत चिकित्सालय, स्वास्थ्य केन्द्र, नेत्र चिकित्सालय आदि सम्मिलित हैं।

10.2.8 उपयोगिताये एवं सेवायें :

विभागीय सर्वेक्षण एवं विश्लेषणों के अनुसार इस भू–भाग के अन्तर्गत 31.5 हैक्टेयर भूमि है। जो कुल निर्मित क्षेत्रफल का 3.2 प्रतिशत है। इसमें धार्मिक स्थल, पार्क, खेल के मैदान, जेल, विद्युत उपकेन्द्र, डाकघर, जल प्रदाय एवे सीवेज फार्म आदि सम्मिलित हैं।

काशीपुर महायोजना क्षेत्र की नियोजित नीति के अनुरूप क्रियात्मक प्रवृति के आधार पर दीर्घकालीन विकास योजना के गठन का प्रस्ताव है। इससे जहाँ एक ओर विद्यमान समस्याओं का समाधान तथा सीमित संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग की उपलब्धता को अनवरत बनाये रखे जाना सम्भव नहीं होगा, वहीं भू–उपयोग प्रस्तावों की एक व्यावहारिक आवश्यकता को अंगीकृत किया गया है। काशीपुर नगर एवं विनियमित क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली ग्रामीण जनता हेतु नियोजन मानकों के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न मौलिक जन सुविधायें उपलब्ध कराना ही इन प्रस्थापनाओं का मूल आधार है।

Scanned with CamScanner

11.1 प्रस्तावित भू–उपयोग 2011 :

प्रस्तावित महायोजना क्षेत्र के अर्न्तगत वर्ष 2011 तक की भावी जनसंख्या की आवश्यकतानुसार, विभिन्न भू–उपयोग, आवासीय, वाणिज्यिक, उद्योग, कार्यालय, सामुदायिक सुविधाएं एवं सेवाएं तथा यातायात परिवहन के प्रस्ताव निहित हैं।

इसके अतिरिक्त मिश्रित भू–उपयोग जो इस नगर में निर्मित मार्गों के दोनों ओर पट्टिका रूप में हुआ है तथा जो महायोजना में प्रस्तावित भू–उपयोग के प्रतिकूल है के सन्दर्भ में काशीपुर महायोजना में यह प्रयास किया गया है कि मार्गों के किनारे पट्टिकानुमा रूप में संभावित विकास को भविष्य में अधिक सुव्यवस्थित किये जाने हेतु 24 मीटर तथा इससे चौड़े मार्ग के दोनों ओर प्रस्तावित आवासीय भू–उपयोग (जहाँ पूर्व में आवासीय तलपट मानचित्र स्वीकृत नहीं है) में मिश्रित भू–उपयोग अनुमन्य होंगे। अनुमन्य भू–उपयोगों के सम्बन्ध में परिक्षेत्रीय विनियमन के अर्न्तगत पृथक रूप से प्रावधान किया गया है।

प्रस्तावित भू–उपयोग के अर्न्तगत ही महायोजना अवधि में समस्त भू–क्षेत्र का नगरीयकरण सुनिश्चित होगा। प्रस्तावित भू–उपयोगों का निर्धारण कार्यकलापों में क्रियात्मक सम्बन्ध बनाए रखने का प्रयास इस उद्देश्य से किया गया है कि जिससे भौतिक दूरी में समय एवं धन की बचत हो सके एवं स्वस्थ नगरीय पर्यावरण उपलब्ध हो सके।

प्रस्तावित भू–उपयोगों का विवरण तालिका संख्या 11.1 एवं प्रस्तावित मानचित्र में प्रदर्शित किया गया है।

प्रस्तावित भू–उपयोग

तालिका संख्या 11.1

काशीपुर महायोजना क्षेत्र प्रस्तावित भू–उपयोग – 2011

क्र. सं.	भू–उपयोग	क्षेत्रफल (है0)	प्रतिशत
क.	नगरीय उपयोग		
1.	**आवासीय**	**1349.1**	**54.2**
	न्यून घनत्व	535.3	21.6
	मध्यम घनत्व	502.8	20.2
	निर्मित आवासीय	242.8	9.8
	ग्रामीण आबादी	68.2	2.7
2.	**वाणिज्य एवं भण्डारण**	**81.6**	**3.3**
	फुटकर वाणिज्य	36.8	1.5
	वाणिज्य केन्द्र / उपकेन्द्र	32.9	1.3
	थोक मण्डी	11.7	0.5
	भण्डारण	0.2	0.01
3.	**उद्योग**	**404.6**	**16.3**
	वृहद उद्योग	149.6	6.0
	हल्के उद्योग	69.7	2.8
	वर्तमान उद्योग	185.3	7.5
4.	**कार्यालय**	**24.8**	**1.0**
	कार्यालय	22.4	0.9
	राजकीय विश्राम गृह	2.4	0.1
5.	**सामुदायिक सुविधायें / सेवायें**	**118.5**	**4.8**
	शिक्षा	30.4	1.2
	तकनीकी / अनुसंधान केन्द्र	14.8	0.6
	स्वास्थ्य	4.4	0.2
	डाकघर	0.9	0.1
	पुलिस स्टेशन	0.8	0.1
	अग्नि शमन	1.0	0.1
	जेल	0.3	0.1

Scanned with CamScanner

	विद्युत उपकेन्द्र	1.6		0.1
	सीवेज फार्म	3.1		0.1
	सामुदायिक सुविधायें	45.2		1.8
	उपासना स्थल	1.3		0.1
	कब्रिस्तान/सीमेट्री/शमशान	14.7		0.6
6.	**व्यवस्थित हरित/खुले क्षेत्र**			
	पार्क/खुले क्षेत्र		**98.9**	**4.0**
	हरित क्षेत्र	54.2		2.2
	संरक्षित क्षेत्र	0.9		0.1
		43.8		1.8
7.	**यातायात**		**406.2**	**16.4**
	बस अड्डा	2.3		0.1
	यातायात नगर	3.4		0.1
	वर्तमान मार्ग	218.4		8.8
	प्रस्तावित मार्ग	81.5		3.3
	रेलवे भूमि	100.6		4.1
	कुल प्रस्तावित नगरीय क्षेत्र		**2483.7**	**25.30**
ख.	**गैर–नगरीय उपयोग**			
1.	कृषि		6434.00	65.49
2.	बाढ़ग्रस्त क्षेत्र		823.6	8.38
3.	नदी/नाले/अन्य		82.0	0.83
	कुल प्रस्तावित गैर नगरीय क्षेत्र		**7339.6**	**74.70**

11.2 आवासीय :

काशीपुर महायोजना क्षेत्र की वर्ष 2011 तक अनुमानित 1.83 लाख जनसंख्या हेतु लगभग 1349.1 हैक्टेयर भूमि आवासीय उपयोगार्थ प्रस्तावित की गयी है, जो कि कुल क्षेत्र का 54.2 प्रतिशत है। इसमें ग्रामीण आबादी हेतु 68.2 हैक्टेयर भूमि का प्राविधान भी सम्मिलित है। प्रस्तावित आवासीय क्षेत्रों को नगर की सभी दिशाओं में आवंटित किया गया है। यह अनुमान है कि वर्तमान निर्मित क्षेत्र के अर्न्तगत आने वाले कुल आवासीय क्षेत्र की 24.3 प्रतिशत भूमि आवासीय उपयोग में लाई जा रही है जो कि लगभग 242.8 हैक्टेयर है। इस प्रकार विनियमित क्षेत्र का सकल आवासीय घनत्व 19 व्यक्ति प्रति हैक्टेयर एवं आवासीय क्षेत्र का शुद्ध घनत्व 133 व्यक्ति प्रति हैक्टेयर प्रस्तावित है। नगर के वर्तमान आवासीय क्षेत्र को अधिकतर उच्च घनत्व की श्रेणी में रखा गया है तथापि इस क्षेत्र का अधिकतम धनत्व 300 व्यक्ति प्रति हैक्टेयर पर ही प्रतिबन्धित किया गया है। इस क्षेत्र के सन्निकट मध्यम तथ न्यून आवासीय क्षेत्र क्रमशः 502.8 एवं 535.3 हैक्टेयर क्षेत्र में प्रस्तावित किये गये हैं।

11.3 वाणिज्य एवं भण्डारण :

नगर का मुख्य वाणिज्य स्थल केन्द्रीय भाग में विद्यमान है, जिसमें भविष्य में भी व्यावसायिक गतिविधियाँ सम्पन्न होती रहेंगी। केवल व्यवसायिक उपक्रम में उनका स्थान कम कर दिया जाएगा, क्योंकि इन क्षेत्रों में कार्यकलापों के प्रसार हेतु समुचित स्थल का अभाव है एवं पहुँच मार्ग संकुचित है।

महायोजना में वाणिज्य एवं व्यापारिक क्रियाकलापों हेतु नये क्षेत्रों का प्रस्ताव क्रमशः 11.64 एवं 9.98 हैक्टेयर क्षेत्र में 30 मीटर चौड़े मार्गों पर प्रस्तावित आवासीय क्षेत्रों के सन्निकट किया गया है। वर्तमान में विद्यमान फुटकर वाणिज्य, भण्डारण, मंडी परिषद क्षेत्र को महायोजना में यथावत रखा गया है। वर्तमान में मुरादाबाद मार्ग पर 11.67 हैक्टेयर क्षेत्र में मण्डी स्थल विद्यमान है। इस प्रकार वाणिज्य एवं भण्डारण के अन्तर्गत कुल 81.6 हैक्टेयर भूमि, जो कि कुल क्षेत्र का 3.3 प्रतिशत है, का प्राविधान किया गया है।

11.4 औद्योगिक :

औद्योगिक इकाईयाँ जहाँ एक ओर भौतिक एवं आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं वहीं दूसरी ओर नियोजन के अभाव में हरित एवं कृषि क्षेत्र का अतिक्रमण तथा औद्योगिक इकाइयों से उत्सर्जित अवशेषों का अपरिष्कृत रूप से हरित क्षेत्रों पर विसर्जन करने से पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक रहता है। अतः इन

Scanned with CamScanner

तथ्यों को दृष्टिगत कर काशीपुर में औद्योगिक क्षेत्रों का नियोजन इस आधार पर किए जाने का प्रयास किया जाये जिससे भावी औद्योगिक इकाइयाँ संगठित एवं एकीकृत रूप से ऐसे क्षेत्रों में विकसित हों, जहाँ उद्योगों के समुचित विकास हेतु आवश्यक अधोसंरचना, उद्योगों से उत्सर्जित अवशेषों के सुचारू निस्तारण की पर्याप्त व्यवस्था किया जाना निहित है।

महायोजना क्षेत्र में उद्योगों के प्रोत्साहन एवं उनके संगठित विकास हेतु वृहत उद्योगों हेतु 47.3 हैक्टेयर भूमि वर्तमान उद्योग के सन्निकट बाजपुर मार्ग एवं लालकुँआ की ओर जाने वाले रेलवे लाइन से लगे स्थल पर, सांडखेड़ा एवं जैतपुर घोसीवाला में एवं रामनगर रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग पर रमपुरा में 99.7 हैक्टेयर भूमि तथा हल्के उद्योगों हेतु मुरादाबाद मार्ग पर सरवरखेड़ा एवं गंगापुर रकवा में 67.8 हैक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है। इस प्रकार महायोजना क्षेत्र में कुल 404.6 हैक्टेयर भूमि औद्योगिक भू–उपयोग के अन्तर्गत प्रस्तावित है। नगर के वाह्य क्षेत्रों में इन उद्योगों की स्थापना से जहाँ एक ओर उचित पर्यावरण बनाये रखे जाने के साथ–साथ स्थानीय जनसंख्या को व्यवसाय के विविध अवसर उपलब्ध होंगे वहीं प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रों का प्रमुख मार्गों पर प्रस्तावित होने के फलस्वरूप मुख्य मार्गों से सीधा सम्पर्क सुनिश्चित होगा। परिणामस्वरूप इन इकाईयों से उत्पन्न होने वाला यातायात नगरीय क्षेत्र में आने से प्रतिबन्धित रहेगा तथा कच्चे माल एंव निर्मित उत्पादों का क्रय–विक्रय को सुगमता से राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध कराने में सहयोगी भी होगा।

11.5 कार्यालय :

यह नगर काशीपुर तहसील का मुख्यालय है। यहाँ पर अनेक विभागों के कार्यालय स्थापित हैं। महायोजना में कार्यालय भू–उपयोग के अन्तर्गत 24.8 हैक्टेयर भूमि का प्रावधान किया गया है, जो कि कुल क्षेत्र के 1.0 प्रतिशत है। इसमें वर्तमान राजकीय विश्राम गृह के अन्तर्गत 2.4 हैक्टेयर क्षेत्र को यथावत रखा गया है, एवं कचहरी परिसर क्षेत्र में अतिरिक्त भूमि सुरक्षित करते हुए कुल 22.4 हैक्टेयर क्षेत्र कार्यालयों हेतु आरक्षित किया गया है।

काशीपुर प्रस्तावित नगरीय क्षेत्र की परिकल्पना एक औद्योगिक केन्द्र के साथ–साथ प्रशासनिक नगर के रूप में की गई है। अतः उपयुक्त क्षेत्रों में कार्यालय एवं इससे प्रासांगिक भू–उपयोग हेतु भूमि की आवश्यकता होगी। अधिकांश कार्यालयों की प्रवृति प्रशासनिक के अतिरिक्त स्थानीय निवासियों को विभिन्न सामुदायिक सुविधाओं एवं सेवाओं में निहित रहेगी। अतः इस दृष्टिकोण से महायोजना प्रस्तावों में परिसरों के विकास के साथ–साथ अन्य सुविधाओं सेवाओं का सुदृढ़ीकरण करने के उद्देश्य से परिक्षेत्रीय विनियमन में इस हेतु आवश्यक प्रावधान किए जाने अभिकल्पित हैं।

11.6 सामुदायिक सुविधायें एवं सेवायें :

प्रस्तावित भू–उपयोग में सामुदायिक सुविधाओं एवं सेवाओं के अन्तर्गत 118.5 हैक्टेयर भूमि आरक्षित है। इसमें शैक्षिक, चिकित्सा, डाकघर, पुलिस स्टेशन, अग्निशमन एवं अन्य सामुदायिक सुविधाओं के प्रावधान नियोजन मानकों के अनुरूप प्रस्तावित किए गये हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार है।

11.6.1 शैक्षिक :

काशीपुर में स्थित वर्तमान शिक्षण संस्थाओं के अध्ययन से निष्कर्ष निकलता है कि नियोजन मानकों के अनुसार यहाँ पर शिक्षण संस्थायें नगरीय एवं समीपवर्ती क्षेत्रों की आवश्यकता हेतु लगभग पर्याप्त हैं तथापि नियोजन अवधि की शैक्षिक आवश्यकता की पूर्ति हेतु नियोजन

Scanned with CamScanner

मानकों के अनुरूप महायोजना में निर्धारित विभिन्न भू–उपयोग क्षेत्रों में इनके प्राविधान निहित होंगे, जिनका उल्लेख विभिन्न यूज जोन के परिक्षेत्रीय विनियमनों में किया गया है।

वर्तमान शैक्षिक सुविधाओं के अन्तर्गत 30.4 हैक्टेयर क्षेत्र को यथा प्रस्तावित किये जाने का प्रावधान किया गया है।

11.6.2 तकनीकी एवं अनुसंधान केन्द्र :

तकनीकी एवं अनुसंधान केन्द्र हेतु कुल 14.8 हैक्टेयर भूमि का प्रावधान है जिसमें वर्तमान तकनीकी एवं अनुसंधान केन्द्रों हेतु क्रमशः 9.6 एवं 5.2 हैक्टेयर क्षेत्र को यथावत रखा गया है।

11.6.3 चिकित्सा :

नगर में वर्तमान में दो राजकीय चिकित्सालय हैं (जिसमें एक महिला चिकित्सालय भी सम्मिलित है)। स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रावधान हेतु नगर के वर्तमान राजकीय चिकित्सालयों का विस्तार किए जाने का प्रस्ताव है जिनमें अतिरिक्त शैय्याओं का प्रावधान है तथा इसके अन्तर्गत 4.4 हैक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है।

महायोजना अवधि में अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्रों, निजी क्षेत्रों में नर्सिंग होम/चिकित्सालयों हेतु यद्यपि पृथक प्रावधान नहीं किया गया है तथापि विभिन्न भू–उपयोग परिक्षेत्रीय विनियमनों में इस प्रकार के प्रासंगिक क्रियाओं का प्रावधान अनुमन्य किये गये हैं।

11.6.4 डाकघर :

वर्तमान में नगर परिषद के सन्निकट एक मुख्य डाकघर स्थित है जिसको यथावत बनाए रखते हुए उपडाकघरों के भी विस्तार के प्रावधान हैं। इसके अन्तर्गत 0.9 हैक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है।

11.6.5 सुरक्षा सुविधा :

नगर में वर्तमान पुलिस स्टेशन, अग्निशमन एवं जेल क्षेत्र को यथावत रखते हुए इनके विस्तार का प्रावधान है। पुलिस स्टेशन, अग्निशमन एवं जेल हेतु क्रमशः 0.8, 1.0, 0.3 हैक्टेयर भूमि का प्रस्ताव दिया गया है।

11.6.6 जलापूर्ति :

नगर में वर्तमान में जल की क्षमता कुल आवश्यकता का लगभग 50 प्रतिशत ही है। अतः वर्तमान जलापूर्ति हेतु दो टैंकों एवं एक नलकूप की आवश्यकता है तथा महायोजना अवधि तक नगर में 4 अतिरिक्त जल भण्डार टैंकों एवं एक नलकूप की आवश्यकता होगी।

11.6.7 विद्युत उपकेन्द्र :

नगर में एक विद्युत उपकेन्द्र स्थापित है। नियोजन अवधि तक प्रस्तावित जनसंख्या हेतु एक अतिरिक्त विद्युत उप–केन्द्र की आवश्यकता होगी। यद्यपि पृथक उपयोग के अन्तर्गत विद्युत आपूर्ति हेतु भूमि प्रदर्शित नहीं की गई है तथापि प्रस्तावित महायोजना के प्रत्येक यूज जोन के परिक्षेत्रीय विनियमनों में इसका प्रावधान किया जा सकेगा। इसके अन्तर्गत 1.6 हैक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है।

11.6.8 सीवेज फार्म :

यद्यपि वर्तमान में मुरादाबाद मार्ग एवं ढेला नदी के मध्य में 3.1 हैक्टेयर भूमि को सीवरेज फार्म हेतु विकसित किया गया है तथापि अतिरिक्त भावी जनसंख्या दबाव को दृष्टिगत कर सीवरेज फार्म का प्रस्ताव कृषि हरित पट्टी यूज जोन के परिक्षेत्रीय विनियमनों में किया गया है। काशीपुर नगर का वर्ष 2011 तक पूर्णतः सीवरेज लाइन द्वारा जोड़ना प्रस्तावित है। अतः वर्तमान प्रस्ताव के अतिरिक्त वर्ष 2011 तक प्रस्तावित आवासीय क्षेत्रों में सीवरेज लाइनों का प्रस्ताव उत्तराँचल जल निगम द्वारा पृथक रूप से किया जायेगा।

Scanned with CamScanner

11.6.9 सामुदायिक सुविधायें :

विभिन्न सामुदायिक सुविधाओं एवे सेवाओं हेतु यद्यपि पृथक–पृथक भूमि का प्रावधान नहीं किया गया है तथापि इसके अन्तर्गत कुल 45.2 हैक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है। खड़गपुर देवीपुरा में मुख्य मार्ग के दोनों ओर 6.5 एवं 3.3 हैक्टेयर, जसपुर खुर्द में प्रस्तावित बाईपास के सन्निकट 12.0 हैक्टेयर तथा मुरादाबाद मार्ग एवं प्रस्तावित 30 मीटर चौड़े मार्ग के मध्य 19.54 हैक्टेयर भूमि का प्रावधान सामुदायिक सुविधाओं हेतु किया गया है।

11.6.10 धार्मिक / सांस्कृतिक :

वर्ष 2011 तक जनसंख्या की धार्मिक एवं सांस्कृतिक विविधता को दृष्टिगत करते हुए महायोजना क्षेत्र में विभिन्न उपासना गृहों हेतु 1.3 हैक्टेयर भूमि आरक्षित है।

11.6.11 कब्रिस्तान / सीमेट्री / शमशान घाट :

कब्रिस्तान, सीमेट्री एवं शमशान घाट के लिए 14.7 हैक्टेयर भूमि का भी प्रावधान किया गया है, जिसमें पूर्व स्थलों को ही सुरक्षित रखा गया है।

11.6.12 पार्क एवं खुले स्थल :

व्यवस्थित पार्क एवं खुले स्थल के अन्तर्गत कुल 54.2 हैक्टेयर भूमि का प्रावधान किया गया है जो कि प्रस्तावित नगरीय क्षेत्र का 2.2 प्रतिशत है। रामनगर मार्ग पर वर्तमान 4.30 हैक्टेयर क्षेत्र में स्थित स्टेडियम एवं वर्तमान रामलीला मैदान के 1.18 हैक्टेयर क्षेत्र का प्रस्ताव किया गया है। इसके अतिरिक्त टांडा उज्जैन में 10.94 हैक्टेयर, दड़ियाल मार्ग पर 17.20 हैक्टेयर क्षेत्र पार्क हेतु प्रस्तावित किया गया है। साथ ही खोखरा ताल के संरक्षण हेतु 33.71 हैक्टेयर क्षेत्र को खुले क्षेत्र के अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया है। महायोजना क्षेत्र में नालों के किनारे वृक्षारोपण कर हरित क्षेत्र में विकसित किए जाने का भी प्रस्ताव है।

11.6.13 संरक्षित क्षेत्र :

नगर के प्राचीनतम ऐतिहासिक एवं पुरातत्व के स्थल गोविषाण नगर दुर्ग भारतवर्ष के प्रारम्भिक ऐतिहासिक काल (म्ंतसल भ्पेजवतपब च्मतपवकद्ध के महत्वपूर्ण नगर दुर्गों (जैसे–आहिच्छय, कौशाम्बी, शिशुपालगढ़) में एक है। इस नगर–दुर्ग में सन्निहित अवशेष हिमालय की तलहटी में सभ्यता के उदय तथा राजनीतिक गतिविधियों के साक्षी हैं। द्रोणसागर के सन्निकट गोविषाण परिसर में छठवीं सदी के आसपास के अवशेष मिले हैं। अतः महायोजना में इसे संरक्षित क्षेत्र के अर्न्तगत प्रस्तावित किया गया है। किन्तु अतिक्रमणकारी वर्तमान अमर्यादित अपसंस्कृति का एक संवेदनशील प्रभावस्थल होने के कारण यह पहले से कई गुना बदतर हालत में अतिक्रमण से अतिसंवेदनशील हो गया है जिसके संरक्षण की यदि तत्काल व्यवस्था नहीं की गई तो यह अनाधिकृत निर्माणों से अपनी असमय विलुप्तता को प्राप्त स्मृतिशेष रह जायेगा।

अतः इस राष्ट्रीय महत्व के पुरातत्व स्थल, गोविषाण किले के संरक्षण योग्य क्षेत्र को विरासत क्षेत्र के रूप में चिन्हित कर पुरातात्विक स्थलों के संरक्षण विनियमों के अनुरूप संरक्षित स्मारक क्षेत्र से अनुलग्न 300 मीटर क्षेत्र को प्रतिनिषिद्ध क्षेत्र प्रस्तावित किए जाने की अपरिहार्यता को दृष्टिगत कर काशीपुर महायोजना में इसे संरक्षित क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। जिसको हरित पट्टिका के रूप में विकसित करने हेतु प्रस्ताव दिया गया है।

इस महत्वपूर्ण पुरातत्वं स्थल के संरक्षित क्षेत्र के अन्तर्गत कुल 43.8 हैक्टेयर क्षेत्र को संरक्षित क्षेत्र के अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया है।

Scanned with CamScanner

11.6.14 यातायात एवं परिवहन :

काशीपुर महायोजना क्षेत्र के अन्तर्गत 406.2 हैक्टेयर भूमि यातायात एवं परिवहन उपयोग हेतु प्रस्तावित की गई है। नगर के वर्तमान आन्तरिक एवं क्षेत्रीय मार्गों के सुदृढ़ीकरण, मार्गाधिकार के अनुसार उनका विस्तार, डामरीकरण तथा पार्किंग सुविधाओं के समुचित विस्तार का प्रावधान किया गया है। वर्तमान बस अड्डों को सुरक्षित रखते हुए मुरादाबाद मार्ग पर यातायात नगर 3.4 हैक्टेयर भूमि में प्रस्तावित किया गया है। वर्तमान मार्गों के अर्न्तगत 218.4 हैक्टेयर भूमि को सुरक्षित रखे जाने का प्रावधान है। यातायात के सुगम प्रवाह हेतु 81.5 हैक्टेयर क्षेत्र में नए मार्ग प्रस्तावित किये गये हैं। जिसके अर्न्तगत मुख्यतः मुरादाबाद मार्ग एवं जैतपुर घोसी को मिलाते हुए 60 मीटर चौड़े बाईपास मार्ग नगर के वाह्य क्षेत्र में 51.84 हैक्टेयर भूमि में प्रस्तावित किया गया है। इसके अतिरिक्त टाडा उज्जैन फोर्ट के सन्निकट से रामनगर मार्ग के एक अन्य प्रस्तावित मार्ग द्वारा सम्बद्ध किया गया है। तथा रेलवे भूमि के 100.6 हैक्टेयर को यथावत रखे जाने का प्रावधान है।

काशीपुर महायोजना के अर्न्तगत विभिन्न मार्गों की चौड़ाई निम्नवत प्रस्तावित है।

विनियमित क्षेत्र के अर्न्तगत मुख्य मोटर मार्गों की चौड़ाई :

मुख्य मोटर मार्ग	लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित चौड़ाई (मीटर में)	प्रस्तावित चौड़ाई महायोजना अनुसार
बाजपुर मार्ग :		
1. छतरी चौराहे से रेलवे क्रासिंग तक	18.28 मी0	45.00 मी0
2. रेलवे क्रासिंग से फायर स्टेशन तक	21.33 मी0	45.00 मी0
3. फायर स्टेशन से बाजपुर की ओर	24.40 मी0	45.00 मी0
रामनगर मार्ग :		
1. छतरी चौराहे से बनारसीदास के बाग तक	21.33 मी0	45.00 मी0
2. बनारसीदास बाग से स्टेडियम तक	39.6 मी0	45.00 मी0
3. स्टेडियम से रामनगर की ओर	45.70 मी0	45.00 मी0
मुरादाबाद मार्ग :		
1. छतरी चौराहे से पुलिस अधीक्षक कार्यालय के आगे पेट्रोल पम्प तक	21.33 मी0	45.00 मी0
2. पेट्रोल पम्प से मुरादाबाद की ओर	45.70 मी0	45.00 मी0
दड़ियाल एवं अलीगंज मार्ग :		
1. सिंचाई विभाग कार्यालय से दड़ियाल मार्ग के तिराहे तक	21.33 मी0	30.00 मी0
2. तिराहे से अलीगंज की ओर	24.40 मी0	30.00 मी0 व 45.00 मी0
अन्य मार्ग :		
1. तिराहे से रेलवे क्रासिंग तक	18.30 मी0	30.00 मी0
2. रेलवे क्रासिंग से दड़ियाल की ओर	21.33 मी0	45.00 मी0
3. तिराहे से शुगर मिल की ओर जाने वाला मार्ग	24.40 मी0	30.00 मी0
4. रामनगर मार्ग पर स्टेडियम से लगा हुआ मार्ग पौलिटेक्निक तक	18.30 मी0	30.00 मी0

Scanned with CamScanner

अध्याय 12

भू–उपयोग परिक्षेत्रीय विनियमन

12.1 भू–उपयोग परिक्षेत्र :

काशीपुर नगरीय क्षेत्र के भावी विकास को महायोजना में निहित उद्देश्यों के अनुरूप क्रियान्वित करने के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि प्रस्तावित विभिन्न भू–उपयोगों में निर्मित होने वाले भवन एवं उनसे सम्बन्धित क्रिया–कलापों को भी नियंत्रित किया जाये। काशीपुर महायोजना में विभिन भू–उपयोग परिक्षेत्रों का प्राविधान, उनकी स्थानीय विशिष्ट स्थिति, भावी जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है, प्रस्तावित विभिन्न भू–उपयोग हेतु आरक्षित क्षेत्रों में भू–उपयोग परिक्षेत्र विनियमन के अन्तर्गत वर्णित उपयोग ही स्थापित किये जा सकेंगे। भू–उपयोग परिक्षेत्र विनियमन में विकास कार्यों तथा समुचित पर्यावरण संतुलन बनाये रखे जाने के उद्देश्य से महायोजना एवं कालान्तर में तैयार की जाने वाली प्रखण्डीय योजनाओं पर संयुक्त रूप से प्रभावी होंगे। महायोजना के प्रस्तावों को यथानुसार फलीभूत करने का पूर्ण दायित्व क्रियान्वन अभिकरण नियंत्रक प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र, काशीपुर का होगा।

12.2 परिक्षेत्रीय विनियमन :

महायोजना में मुख्यतः प्रमुख भू–उपयोग को ही प्रर्दशित किया गया है। परन्तु विकास करते समय विभिन्न मुख्य भू–उपयोगों के अर्न्तगत अन्य तत्सम्बन्धी क्रियाओं तथा भू–उपयोगों की आवश्यकता होती है, जिन्हें महायोजना मानचित्र में पृथक रूप से दर्शाया नहीं जा सकता है। अतः नियोजित विकास को सुनिश्चित करने के लिए परिक्षेत्रीय विनियमन बनाया जाता है। महायोजना के प्रभावी कार्यान्वन एवं नगर के सुनियोजित विकास में परिक्षेत्रीय विनियमन की वैधानिक एवं तकनीकी उपकरण के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

वर्तमान नगरीय संरचना एवं भावी प्रतिरूप में निर्देशित विकास हेतु महायोजना क्षेत्र को निम्न प्रमुख भू–उपयोग परिक्षेत्रों में विभाजित किया गया है।

1. **आवासीय –**
   - (क) आवासीय
   - (ख) निर्मित आवासीय क्षेत्र
   - (ग) ग्रामीण आबादी
2. **वाणिज्यिक –**

(क) फुटकर वाणिज्य

(ख) वाणिज्य केन्द्र/उप–केन्द्र/सिनेमा/पेट्रोल पम्प

(ग) थोक मण्डी

(घ) वेयर हाउसिंग

3. **कार्यालय –**
   - (क) कार्यालय
   - (ख) राजकीय विश्राम गृह
4. **उद्योग –**
   - (क) वृहद उद्योग
   - (ख) हल्के उद्योग/वर्तमान उद्योग
5. **सामुदायिक सुविधायें एवं सेवायें –**
   - (क) तकनीकी शिक्षा/अनुसंधान केन्द्र
   - (ख) डिग्री/इण्टर कालेज/स्कूल

Scanned with CamScanner

(ग) चिकित्सा सुविधायें

(घ) उपासना स्थल

(ड़) पुलिस स्टेशन/अग्नि शमन केन्द्र

(च) डाकघर/जेल

(छ) विद्युत उपकेन्द्र/सीवेज फार्म

(ज) सामुदायिक सुविधायें एवं सेवायें

6. **खुले स्थल/हरित क्षेत्र –**

(क) पार्क, खुले स्थल, स्टेडियम/हरित क्षेत्र

(ख) संरक्षित क्षेत्र

(ग) बाढ़ग्रस्त क्षेत्र

(घ) कृषि

7. **यातायात एवं परिवहन –**

(क) बस अड्डा

(ख) ट्रान्सपोर्ट नगर

(ग) वर्तमान मार्ग

(घ) प्रस्तावित मार्ग

(ड.) अन्य मार्ग/ओवर हेड ब्रिज

(च) रेवले लाइन, स्टेशन/रेलवे भूमि

(छ) कब्रिस्तान/शमशान घाट

(ज) नदी, नहर, नाले

12.3 वर्गीकरण :

उपर्युक्त वर्णित प्राविधानों के साथ–साथ विभिन्न परिक्षेत्रों के विनियमों में समान्यतः अनुमन्य (प्रासंगिक उपयोग सहित) एवं वह उपयोग, जो नियंत्रक प्राधिकारी की अनुमति पर ही अनुमन्य होंगे, को वर्गीकृत किया गया है, जबकि अन्य समस्त उपयोग जो इस वर्गीकरण में उल्लिखित नहीं हैं निषिद्ध होंगे।

12.3.1 आवासीय :

1. आवासीय –

(क) अनुमन्य उपयोग –

1. आवासीय।
2. सामुदायिक भवन, अतिथि भवन, धर्मशाला, छात्रावास, राजकीय निरीक्षण भवन, बैंक्वेट हाल, बारातघर।
3. उच्चतर माध्यमिक इण्टर स्तर तक का विद्यालय।
4. भोजनालय, जलपान गृह।
5. पार्क तथा क्रीड़ास्थल, व्यायामशाला, तरणताल, क्लब।
6. प्रदूषण रहित कुटीर उद्योग।
7. डाकघर, पुलिस चौकी/स्टेशन, अग्निशमन केन्द्र, टेलीफोन एक्सचेंज।
8. दैनिक उपयोग की दुकानें (अधिकतम 5 दुकानें) परिशिष्ट –1 की सूची के अनुसार।
9. सार्वजनिक सेवाओं एवं उपयोगिताओं से सम्बन्धित भवन जैसे– विद्युत केन्द्र/उपकेन्द्र, सीवेज, पम्पिंग स्टेशन, ओवर हेड टैंक आदि।
10. बस स्टैन्ड, टैक्सी/टैम्पो स्टैन्ड।
11. आवास के साथ–साथ निजी व्यवसाय जैसे– अधिवक्ता, चिकित्सा, वास्तुविद, अभियन्ता, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग आदि।
12. शिशु गृह एवं दिवस देखभाल केन्द्र।
13. वाचनालय, पुस्तकालय, योग केन्द्र, मनन, आध्यात्मिक एवं प्रवचन केन्द्र।
14. धार्मिक भवन।

Scanned with CamScanner

15. 2 अश्वशक्ति तक के सेवा उद्योग (परिशिष्ट–2 की सूची के अनुसार)
16. जनोपयोगी देख–रेख से सम्बन्धित स्थानीय निकाय के जोनल कार्यालय।
17. नर्सरी तथा ग्रीन हाउस।
18. सॉलिडवेस्ट डिस्पोजल/कलेक्शन सेन्टर हेतु स्थल।

(ख) नियंन्त्रक प्राधिकारी की अनुमति से अनुमन्य उपयोग :

1. नर्सिंग होम, क्लीनिक तथा स्वास्थ्य केन्द्र बशर्ते कि वह मानसिक एवं संक्रामक रोग की चिकित्सा से सम्बन्धित न हो।
2. महाविद्यालय, व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, तकनीकी प्रशिक्षण एवं शिक्षण संस्थाएं, संगीत नृत्य एवं नाट्य प्रशिक्षण केन्द्र, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र।
3. दस अश्व शक्ति तक की प्रिन्टिंग प्रेस, आटा चक्की।
4. पेट्रोल/डीजल फिलिंग, सर्विस स्टेशन, बशर्ते कि वह 30 मीटर या इससे अधिक चौड़े मार्ग पर स्थित हों।
5. व्यावसायिक प्रतिष्ठान जैसे– बैंक, समाचार पत्र कार्यालय।
6. अस्थायी मनोरंजन जैसे– सर्कस, सिनेमा, प्रर्दशनी।
7. सिनेमा हाल, थियेटर, सभास्थल, सांस्कृतिक केन्द्र, खुला थियेटर।
8. मनोरंजन पार्क, स्टेडियम, इनडोर गेम्स हॉल, बशर्ते कि वह कम से कम 30 मीटर चौड़े मार्ग पर स्थित हो।
9. कोयले तथा लकड़ी के टाल, भवन निर्माण सामग्री।
10. अर्द्ध राजकीय कार्यालय।
11. सुधारालय, अनाथालय।
12. संग्रहालय।
13. गैस गोदाम जो 1500 वर्गमीटर से कम क्षेत्र के भूखण्ड पर न हों तथा जिसमें एक ओर न्यूनतम 9 मीटर तथा शेष तीन ओर न्यूनतम 6 मीटर पूर्णतया खुला स्थल हो।
14. आवास के अनुसांगिक उपयोग जो क्षेत्र से विकास हेतु आवश्यक हो तथा उपरोक्त किसी भी उपयोग के समतुल्य पाया जाये।

2. निर्मित आवासीय –

(अ) अनुमन्य उपयोगः

आवासीय उपयोग के अर्न्तगत अनुमन्य उपयोग तथा वह उपयोग जो वर्तमान निर्मित क्षेत्र में स्थल के चारों ओर (प्रिडोमिनेन्ट) मुख्यतः विकसित हों परन्तु वह उपयोग हानिकारक (शोर, बदबू, कम्पन, धूल आदि) प्रकृति का न हो। जिन क्षेत्रों में मिश्रित भू–उपयोग है, वहाँ प्रत्येक प्रकरण पर गुण एवं दोष के आधार पर निर्णय लिया जायेगा। पार्क को यथावत रखा जाय।

(ब) नियन्त्रक प्राधिकारी की अनुमति से अनुमन्य उपयोगः

आवासीय तथा उसके प्रासांगिक उपयोग, गेस्ट हाउस, स्कूल, क्लीनिक, सांस्कृतिक संस्थायें, सामुदायिक उपयोगितायें एवं सेवायें।

3. ग्रामीण आबादी –

(क) अनुमन्य उपयोग

1. आवासीय भवन
2. खाद, बीज एवं अनाज के भण्डार (अधिकतम 100 वर्ग मीटर क्षेत्र)
3. पशुपालन (गौशाला)।
4. मातृ शिशु कल्याण केन्द्र।
5. फुटकर दुकानें (अधिकतम 5 दुकानें/सूची परिशिष्ट 1 के अनुसार)
6. कृषि यंत्र मरम्मत।
7. प्राइमरी स्तर तक स्कूल।
8. आटा चक्की।
9. उपासना गृह।

Scanned with CamScanner

10. सामुदायिक भवन।

(ख) नियंत्रक प्राधिकारी की अनुमति पर अनुमन्य उपयोग :

1. बीज, खाद एवं अनाज के भण्डारण एवं डिपो।
2. संस्थान/संस्थागत कार्यालय।
3. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र।
4. पशु चिकित्सालय।
5. डेरी।
6. सार्वजनिक सुविधा सम्बन्धित भवन।
7. ईंधन एवं भवन सामग्री के डिपो।
8. बायोगैस संयंत्र।
9. हथकरघा एवं कुटीर उद्योग
10. ग्रामीण उपयोग के अनुसांगिक उपयोग जो क्षेत्र के विकास हेतु आवश्यक हों तथा उपरोक्त किसी भी उपयोग के समतुल्य पाये जायें।

12.3.2 वाणिज्यिक क्षेत्र –

1. फुटकर वाणिज्य–

(क) अनुमन्य उपयोग –

1. व्यापार की फुटकर दुकानें।
2. वाणिज्यिक कार्यालय।
3. होटल, जलपान गृह, रेस्टोरेन्ट।
4. सिनेमाघर, थियेटर, आडिटोरियम, क्लब, म्यूजियम, आर्ट गैलरी, पुस्तकालय।
5. अग्निशमन केन्द्र, पुलिस स्टेशन, पुलिस चौकी, डाकघर।
6. बेकरी तथा कन्फैक्शनरी।
7. व्यावसायिक शिक्षा केन्द्र तथा सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, पेन्टिंग, नृत्य व संगीत आदि।
8. डिस्पेन्सरी, नर्सिंग होम, क्लीनिक, परिवार कल्याण केन्द्र।
9. बैंक तथा वित्तीय संस्थायें।
10. पर्यावरण प्रदूषित न करने वाले भण्डारागार तथा संग्रह केन्द्र।
11. कार, स्कूटर, टैक्सी स्टैण्ड।
12. पार्क, खुले स्थान, खेल का मैदान।
13. भूतल के उपरान्त, अग्रेत्तर तल पर आवास।
14. अतिथि भवन, धर्मशाला।
15. समाचार पत्र कार्यालय।
16. सर्विस गैराज, पेट्रोल/डीजल फिलिंग स्टेशन।
17. सार्वजनिक उपयोगिताओं सम्बन्धी प्रतिष्ठान।
18. सामुदायिक भवन।
19. समाज कल्याण केन्द्र।
20. विद्युत केन्द्र/विद्युत सब–स्टेशन।

(ख) नियंत्रक प्राधिकारी की अनुमति पर अनुमन्य उपयोग–

1. कोयला, लकड़ी तथा टिम्बर टाल, हार्डवेयर तथा प्लम्बर।
2. प्रिन्टिंग प्रेस।
3. 10 अश्व शक्ति तक के प्रदूषण रहित उद्योग (सूची संलग्न 3 के अनुसार)
4. बस स्टैण्ड।
5. व्यापार की थोक दुकानें।
6. मरम्मत तथा सर्विसिंग हेतु वर्कशॉप।
7. शिशु गृह एवं दिवस देखभाल केन्द्र।
8. श्रमिक कल्याण केन्द्र।
9. कनवीनियेन्ट दुकानें एवं बाजार क्षेत्र के अनुषांगिक उपयोग जो क्षेत्र के विकास हेतु आवश्यक हों तथा उपरोक्त उपयोग के समतुल्य पाये

Scanned with CamScanner

जायें।

2. वाणिज्य केन्द्र/उपकेन्द्र/सिनेमा/पेट्रोल पम्प :

(क) अनुमन्य उपयोग --

1. व्यापार की फुटकर दुकानें – अनाज, सब्जी एवं फल, भवन सामग्री, लोहा, लकड़ी, कोयला को छोड़कर)
2. वाणिज्यिक कार्यालय।
3. जलपान गृह, होटल।
4. अग्निशमन केन्द्र, पुलिस स्टेशन, पुलिस चौकी, डाक तारघर।
5. विशिष्ट बाजार, सिनेमा, आडिटोरियम, थिएटर।
6. बैंक तथा वित्तीय संस्थायें।
7. कार, स्कूटर, रिक्शा, साईकिल टैक्सी स्टैण्ड।
8. पार्क खुले स्थान।
9. समाचार पत्र कार्यालय।
10. न्यूनतम 24 मीटर मार्ग पर पेट्रोल/डीजल फिलिंग स्टेशन।
11. विद्युत केन्द्र/विद्युत सब–स्टेशन।

(ख) नियंत्रक प्राधिकारी की अनुमति पर अनुमन्य उपयोग –

1. बस स्टैण्ड।
2. सार्वजनिक उपयोगिताओं सम्बन्धी प्रतिष्ठान।
3. सामुदायिक भवन।
4. समाज कल्याण केन्द्र।
5. शिशु गृह एवं दिवस देखभाल केन्द्र।
6. अनुषांगिक उपयोग जो क्षेत्र के विकास हेतु आवश्यक हो तथा उपरोक्त किसी भी उपयोग के समतुल्य पाये जायें।

3. थोक मण्डी/वेयर हाउसिंग –

(क) अनुमन्य उपयोग –

1. थोक तथा फुटकर दुकानें।
2. थोक विक्रय की दुर्गन्धहीन, खराब होने वाली, अज्वलनशील व हानिरहित सामग्रियों के लिए, मय भण्डारागार तथा डिपो।
3. अग्निशमन केन्द्र/पुलिस चौकी/पुलिस स्टेशन।
4. बैंक।
5. सार्वजनिक उपयोगितायें एवं सेवाओं के भवन।
6. वाहनों के पार्किंग स्थल।
7. सामान चढ़ाने–उतारने के प्लेट फार्म।
8. धर्मशाला।
9. भोजनालय एवं रेस्टोरेन्ट।
10. संतरी/चौकीदार आवास।
11. पेट्रोल/डीजल फिलिंग तथा सर्विस स्टेशन।
12. प्रथम तथा ऊपरी तलों पर आवास।
13. ट्रक अवस्थान।
14. टैक्सी तथा स्कूटर स्टैण्ड।
15. जलशोधन प्लाण्ट के साथ जलापूर्ति केन्द्र।
16. विद्युत केन्द्र।

(ख) नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा अनुमन्य उपयोग –

1. कृषि उपकरणों की मरम्मत एवं सर्विसिंग हेतु वर्कशाप।
2. प्रथम तथा ऊपरी तलों पर आवास।
3. जंकयार्ड।
4. गैस गोदाम, जो 1000 वर्ग मीटर से कम क्षेत्र के भूखण्ड पर न हो तथा जिसमें एक ओर 4.0 मीटर तथा शेष तीन ओर न्यूनतम 6.0 मीटर खुला स्थान हो।
5. रेलवे यार्ड, स्टेशन एवं साइडिंग।
6. होस्टल, गेस्ट हाउस, बोर्डिंग एवं लाजिंग हाऊस, होटल।

Scanned with CamScanner

7. बस डिपो तथा वर्कशाप।
8. हास्पिटल, हेल्थ सेन्टर तथा नर्सिंग होम।
9. समाज कल्याण केन्द्र।
10. व्यवसायिक के अनुषांगिक उपयोग जो क्षेत्र के विकास हेतु आवश्यक हों तथा उपरोक्त किसी भी उपयोग के समतुल्य पाये जायें।

12.3.3 कार्यालय –

(क) अनुमन्य उपयोग –

1. राजकीय, अर्द्धराजकीय, स्थानीय कार्यालय, न्यायालय।
2. व्यक्तिगत पेशों से सम्बन्धित कार्यालय, सामान्य कार्यालय।
3. रेस्टोरेन्ट, जलपान गृह।
4. बैंक तथा वित्तीय संस्थायें।
5. अतिथि गृह, निरीक्षण भवन, राजकीय विश्राम गृह।
6. डाक–तार घर, टेलीफोन कार्यालय, क्लब, पुस्तकालय, स्वास्थ्य केन्द्र, उपयोगितायें एवे सेवाओं से सम्बन्धित भवन।
7. पार्क/क्रीड़ा स्थल।
8. अनुसंधान संस्थान एवं उनके प्रासंगिक उपयोग।
9. चौकीदार/संतरी आवास।
10. रिक्शा, टैम्पो/टैक्सी स्टैण्ड।
11. सामाजिक सांस्कृतिक संस्थायें।
12. शिशु गृह एवं दिवस देखभाल केन्द्र।

(ख) नियंत्रक प्राधिकारी की अनुमति पर अनुमन्य उपयोग –

1. ऊपरी तलों पर अधिकतम 10 प्रतिशत अनुमन्य तल क्षेत्र अनुपात में आवास।
2. कर्मचारी आवास।
3. होटल, रैन बसेरा।
4. फुटकर दुकानें।
5. सर्विस स्टेशन, पेट्रोल/डीजल फिलिंग।
6. पॉलीटेक्निक एवं उच्च तकनीकी संस्थान।
7. गैस अधिष्ठान / एजेन्सी।
8. कार्यालय उपयोग के अनुसांगिक उपयोग जो क्षेत्र के विकास हेतु आवश्यक हों तथा उपरोक्त किसी भी उपयोग के समतुल्य हों।

12.3.4 उद्योग :

1. वृहद उद्योग –

(क) अनुमन्य उपयोग –

1. सभी प्रकार के वृहद उद्योग बशर्ते कि वे हानिकारक एवं प्रदूषण रहित हों।
2. उद्योगों की आवश्यकता हेतु अज्वलनशील तथा गंधरहित सामग्री के भण्डारागार।
3. श्रमिकों हेतु कैन्टीन तथा मनोरंजन सुविधायें।
4. श्रमिक कल्याण केन्द्र।
5. स्वास्थ्य केन्द्र।
6. पार्क तथा क्रीड़ास्थल।
7. माल चढ़ाने तथा उतारने का प्लेटफार्म, धर्मकाँटा, पार्किंग।
8. उपयोगितायें एवं सेवाओं से सम्बन्धित भवन।
9. डाकघर, पुलिस चौकी, पुलिस स्टेशन, अग्निशमन केन्द्र।
10. टैक्सी, टैम्पो, रिक्शा स्टैण्ड।
11. चौकीदार कक्ष।

उपरोक्त श्रेणी में आने वाले वृहत उद्योगों के लिए न्यूनतम भूखण्ड क्षेत्रफल आर0 बी0 ओ0 एक्ट 1958 के प्राविधानतः 6000 वर्गफुट होगा तथा सैटबैक मॉडल बिल्डिंग बाईलाज उ0 प्र0 1977 के सेक्शन 32.2.1 में उल्लिखित

Scanned with CamScanner

तालिका–4 के अनुसार अनुमन्य होंगे।

(ख) नियंत्रक प्राधिकारी की अनुमति पर अनुमन्य उपयोग–

1. अतिथि गृह।
2. समाज कल्याण केन्द्र।
3. खतरनाक एवं ज्वलनशील वस्तुओं का भण्डार।
4. कोयला, लकड़ी एवं टिम्बर यार्ड।
5. कबाड़खाना एवं नीलामी स्थल।
6. पॉलीटेक्निक, उच्च तकनीकी शिक्षा संस्थान (सुसंगत उपयोग के साथ) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, प्रयोगशाला।
7. बस एवं ट्रक अवस्थान, ट्रांसपोर्ट एजेन्सी।
8. वृहद तेल डिपो तथा रिफिलिंग प्लान्ट गैस कार्य।
9. सार्वजनिक उपयोगिताओं से सम्बन्धित उपयोग।
10. रेलवे स्टेशन, यार्ड एवं साइडिंग।
11. धार्मिक भवन, सांस्कृतिक तथा सामाजिक संस्थान हेतु भवन।
12. बैंक एवं वित्तीय संस्थायें, उद्योग से सम्बन्धित कार्यालय।
13. पेट्रोल/डीजल फिलिंग स्टेशन, सर्विस स्टेशन।
14. अस्थाई स्वरूप वाले व्यावसायिक मनोरंजन।
15. जलपान गृह, रेस्टोरेन्ट, फुटकर दुकानें।
16. न्यूनतम 0.4 हैक्टेयर के भूखण्ड पर रख–रखाव हेतु आवश्यक कर्मचारियों का आवास जो कि कुल क्षेत्रफल का 2 प्रतिशत से अधिक न हो।
17. शिशु गृह एवं दिवस देखभाल केन्द्र।
18. न्यनतम 10 हैक्टेयर क्षेत्रफल के विन्यास भवन मानचित्र में अधिकतम 5 प्रतिशत क्षेत्रफल पर श्रमिक आवास।
19. मुख्य उपयोग के आनुसांगिक उपयोग जो क्षेत्र के विकास हेतु आवश्यक हों तथा उपरोक्त किसी भी उपयोग के समतुल्य पाये जायें।

2. हल्के उद्योग/वर्तमान उद्योग :

(क) अनुमन्य उपयोग :

1. सभी प्रकार के हानिरहित एवं गंधरहित उद्योग, जो शक्तिचालित दशा में 50 तथा बिना शक्ति चालित दशा में 100 से अधिक श्रमिकों को रोजगार देने वाले न हों।
2. कर्मचारियों हेतु कैण्टीन तथा मनोरंजन सुविधायें।
3. सामान चढ़ाने तथा उतारने हेतु प्लेट फार्म।
4. श्रमिक कल्याण केन्द्र।
5. उपयोगिताओं एवं सेवाओं से सम्बन्धित भवन।
6. डाकघर, पुलिस चौकी, पुलिस स्टेशन, अग्निशमन केन्द्र।
7. टैक्सी, टैम्पो तथा रिक्शा स्टैण्ड।
8. चौकीदार कक्ष।

उपरोक्त श्रेणी में आने वाले हल्के/वर्तमान उद्योगों के लिए भूखण्ड के लिए भूखण्ड क्षेत्रफल एवं सैटबैक मॉडल विल्डिंग बाईलाज उ0 प्र0, 1977 के सेक्शन 32.2.1 में उल्लिखित तालिका –4 के अनुसार अनुमन्य होंगे।

(ख) नियंत्रक प्राधिकारी की स्वीकृति से अनुमन्य उपयोग –

1. अतिथि गृह।
2. स्वास्थ्य केन्द्र/चिकित्सालय।
3. समाज कल्याण केन्द्र।
4. रेलवे गोदाम।
5. नाशवान, खतरनाक, ज्वलनशील वस्तुओं एवं अन्य वस्तुओं का भण्डार।
6. कबाड़खाना एवं नीलामी स्थल।

Scanned with CamScanner

7. कोयला, लकड़ी, टिम्बर यार्ड।
8. पॉलिटेक्निक तथा उच्च तकनीकी शिक्षा संस्थान, छात्रावास सहित तथा अन्य अनुषांगिक उपयोग।
9. बस एवं ट्रक अवस्थान।
10. सर्विस स्टेशन।
11. रेलवे यार्ड/साइडिंग।
12. पेट्रोल/डीजल फिलिंग स्टेशन, सर्विस स्टेशन।
13. उद्योग से सम्बन्धित कार्यालय/बैंक।
14. न्यनतम 0.4 हैक्टेयर के भूखण्ड पर रख–रखाव हेतु आवश्यक कर्मचारियों का आवास जो कि कुल क्षेत्रफल का 2 प्रतिशत से अधिक न हो।
15. जलपान गृह, रेस्टोरेन्ट, फुटकर दुकानें।
16. शिशुगृह एवं दिवस देखभाल केन्द्र।
17. न्यूनतम 2 हैक्टेयर क्षेत्रफल के विन्यास/भवन मानचित्र में अधिकतम 5 प्रतिशत क्षेत्रफल पर श्रमिक आवास।
18. मुख्य उपयोग के अनुषांगिक उपयोग जो क्षेत्रफल के विकास हेतु आवश्यक हो तथा उपरोक्त किसी भी उपयोग के समतुल्य पाये जायें।
19. धार्मिक स्थल, भवन, सांस्कृतिक तथा सामाजिक संस्थाओं हेतु भवन।
20. अस्थाई स्वरूप वाले व्यावसायिक मनोरंजन।

12.3.5 सामुदायिक सुविधायें एवं सेवायें :

1. शिक्षा :

(क) अनुमन्य उपयोग :

1. शैक्षिक संस्थायें एवं प्रतिष्ठान, प्राविधिक शिक्षण संस्थायें, अनुसंधान केन्द्र, शोध केन्द्र।
2. छात्रावास
3. पुस्तकालय।
4. प्रयोगशाला।
5. खेल के मैदान, स्टेडियम, मनोरंजन स्थल।
6. पार्किंग एवं बस स्टाप।

(ख) नियंत्रक प्राधिकारी की अनुमति पर अनुमन्य उपयोग :

1. सम्बन्धित शैक्षिक कर्मचारियों के आवास।
2. फुटकर दुकानें।
3. जलपान गृह।
4. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र।
5. सांस्कृतिक केन्द्र एवं उपासनागृह।
6. डाक/तार घर, पुलिस स्टेशन/चौकी, जल एवं विद्युत प्रतिष्ठान।
7. बैंक।
8. शिक्षा के अनुसांगिक उपयोग जो क्षेत्र के विकास हेतु आवश्यक हों तथा उपरोक्त किसी भी उपयोग के समतुल्य पाये जायें।

2. स्वास्थ्य :

(क) अनुमन्य उपयोग :

1. परिवार कल्याण केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, क्लीनिक, चिकित्सालय, एक्स–रे क्लीनिक, पौथालॉजी सेन्टर।
2. अनुसंधान प्रयोगशालायें।
3. आपातकालीन कक्षों से सम्बन्धित कर्मियों के आवास, नर्स हास्टल।
4. बस स्टाप।
5. जनरेटर कक्ष।

Scanned with CamScanner

6. मेडिकल स्टोर।
7. पशु चिकित्सालय एवं कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र।
8. पार्क।
9. धार्मिक स्थल/उपासना स्थल।

(ख) नियन्त्रक प्राधिकारी की अनुमति पर अनुमन्य उपयोग :

1. टैक्सी एवं बस स्टैन्ड।
2. भोजनालय एवं जलपानगृह।
3. जल एवं विद्युत प्रतिष्ठान।
4. चिकित्सा कर्मियों के आवास।
5. डाक–तार घर, पुलिस चौकी/स्टेशन।
6. बैंक।
7. लॉजेज एवं धर्मशाला, रैन बसेरा।
8. स्वास्थ्य के अनुसांगिक उपयोग जो क्षेत्र के विकास हेतु आवश्यक हो तथा उपरोक्त किसी उपयोग के समतुल्य पाये जायें।

3. पुलिस स्टेशन/अग्निशमन केन्द्र/जेल :

(क) अनुमन्य उपयोग :

1. पुलिस कार्यालय, पुलिस स्टेशन।
2. जेल, जेल से सम्बन्धित कार्यालय।
3. विभागीय रेस्ट हाउस।
4. अग्निशमन केन्द्र व कार्यालय।
5. वायरलेस कक्ष व सम्बन्धित कार्यालय।
6. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चिकित्सालय।
7. पार्क एवं पार्किंग स्थल।
8. धार्मिक स्थल।

(ख) नियंत्रक प्राधिकारी की अनुमति पर अनुमन्य उपयोग :

1. पुलिस/जेल/अग्निशमन के विभागीय कर्मचारियों के आवास।
2. जल एवं विद्युत प्रतिष्ठान।
3. पुलिस स्टेशन/अग्निशमन केन्द्र/जेल के अनुसांगिक उपयोग जो क्षेत्र के विकास हेतु आवश्यक हों तथा उपरोक्त किसी भी उपयोग के समतुल्य पाये जायें।

4. डाकघर/तारघर/विद्युत उपकेन्द्र/विद्युत केन्द्र/सीवेजफार्म :

(क) अनुमन्य उपयोगः

1. डाकघर।
2. तारघर
3. दूरभाष केन्द्र।
4. दूरदर्शन केन्द्र/रिले सेन्टर।
5. जल कल, जल भण्डार एवं कार्यालय।
6. विद्युत केन्द्र/उपकेन्द्र, विद्युत गृह एवं सम्बन्धित कार्यालय।
7. सीवेज फार्म।

(ख) नियंत्रक प्राधिकारी की अनुमति पर अनुमन्य उपयोग :

1. डाकघर/तारघर/दूरभाष/दूरदर्शन/जल एवं विद्युत प्रदाय से सम्बन्धित कर्मियों की आवासीय कालोनी।
2. टैक्सी एवं बस स्टैण्ड।
3. जलपान गृह एवं कार्यशाला।
4. निरीक्षण भवन।

12.3.6 मिश्रित भू–उपयोग :

24 मीटर एवं इससे अधिक चौड़ी वर्तमान एवं प्रस्तावित महायोजना मार्ग के दोनों ओर निर्धारित गहराई तक प्रस्तावित

Scanned with CamScanner

आवासीय क्षेत्र (जहाँ तलपट मानचित्र स्वीकृत नहीं हैं) में मिश्रित स्वरूप के उपयोग अनुमन्य होंगे।

उक्त क्षेत्रों में आवासीय 12.3.1 (1) फुटकर वाणिज्य 12.3.2 (1) वाणिज्य केन्द्र/उपकेन्द्र/सिनेमा/पेट्रोल पम्प 12.3.2 (2) कार्यालय 12.3..3 तथा सामुदायिक सुविधायें एवं सेवायें के अर्न्तगत शिक्षा 12.3.5.(1) स्वास्थ्य 12.3..5(2) पुलिस स्टेशन/अग्निशमन केन्द्र/जेल, 12.3.5(3) व डाकघर/तारघर/विद्युत उपकेन्द्र 12.3.5.(4) यूज जोन के "अनुमन्य उपयोग" एवं "नियंत्रक प्राधिकारी की अनुमति पर अनुमन्य उपयोग" में दिये गये समस्त प्रकार के उपयोग अनुमन्य होंगे।

12.3.7 खुले स्थल/हरित क्षेत्र :

1. पार्क एवं क्रीड़ास्थल

(क) अनुमन्य उपयोग :

1. पार्क एवं खेल के मैदान।
2. शिविर स्थल।
3. उद्यान।
4. स्टेडियम एवं प्रेक्षागृह।
5. स्केटिंग रिंग, तरणताल।
6. पोलो ग्राउण्ड, गोल्फ कोर्स।
7. मुक्ताकाश रंगमंच।
8. पार्किंग।
9. अधिकतम 25 वर्ग मीटर में जलपान सुविधा।

(ख) नियंत्रक प्राधिकारी की अनुमति पर अनुमन्य उपयोग :

1. टैक्सी एवं बस स्टैण्ड।
2. सांस्कृतिक केन्द्र।
3. प्रदर्शनी मैदान।

2. हरित क्षेत्र :

(क) अनुमन्य उपयोग :

1. वन।
2. हार्टीकल्चर।
3. नर्सरी।
4. मनोरंजन के पार्क।
5. क्रीड़ा स्थल।
6. पार्क।
7. तरणताल।
8. धोबीघाट।
9. कार, स्कूटर, टैक्सी खड़ा करने का स्थान।

(ख) नियंत्रक प्राधिकारी की अनुमति पर अनुमन्य उपयोग :

1. सार्वजनिक सभा स्थल।
2. खुले रंगमंच/खुले सिनेमा।
3. प्रदर्शनी स्थल।
4. स्मारक।
5. अजायबघर, चिड़ियाघर।
6. स्टेडियम।
7. हैल्थ क्लब, योग केन्द्र।
8. रेस्टोरेन्ट।
9. गैस अधिष्ठान एवं गैस कार्य।
10. विद्युत शक्ति संयंत्र।
11. सार्वजनिक उपयोगिताओं तथा सेवायें जो संचार जलापूर्ति से सम्बन्धित हों।
12. किओस्क।

Scanned with CamScanner

13. उपासना स्थल, सत्संग भवन।
14. वृद्ध आश्रम।
15. रामलीला ग्राउण्ड, मेला ग्राउण्ड।

3. संरक्षित क्षेत्र :

पुरातत्व से सम्बन्धित निर्माणों के पुर्ननिर्माण, जीर्णोद्वार तथा मरम्मत को छोड़कर सभी प्रकार के निर्माणों पर पूर्णतः प्रतिबन्ध रहेगा।

4. बाढ़ग्रस्त क्षेत्र :

बाढ़ग्रस्त यूज जोन के अन्तर्गत कृषि यूज जोन में अनुमन्य सभी प्रकार की निर्माण विहीन क्रियायें अनुमन्य होंगी। विशेष परिस्थिति में बाढ़ग्रस्त यूज जोन के अर्न्तगत, ऐसे क्रियाकलाप जिसमें निर्माण कार्य सम्मिलित हों, की अनुमति सिंचाई विभाग से अनापत्ति प्राप्त होने के पश्चात दी जायेगी।

5. कृषि :

(क) अनुमन्य उपयोग :

1. कृषि।
2. वन।
3. हॉर्टीकल्चर।
4. चारागाह।
5. नर्सरी।
6. डेयरी/डेयरी फार्म।
7. पोल्ट्री फार्म।
8. पशुपालन।
9. दुग्ध संग्रहण केन्द्र।
10. बीज एवं खाद्य भण्डारण।
11. पार्क।
12. मनोरंजन पार्क।
13. क्रीड़ास्थल/गोल्फ क्लब।
14. स्टेडियम।
15. सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक मनोरंजन के उपयोग जैसे–मेला सर्कस, चलते–फिरते सिनेमा, पिकनिक स्थल आदि तथा खेल का मैदान।
16. सार्वजनिक सभा–स्थल।
17. धोबीघाट।
18. सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट तथा सीवेज कार्य।
19. पेट्रोल फिलिंग स्टेशन।
20. फार्म मशीनरी की मरम्मत एवं सफाई हेतु सर्विस स्टेशन।
21. फार्म पर उत्पादित वस्तुओं की प्रोसेसिंग, बिक्री तथा रख–रखाव जिसके अन्तर्गत गोदाम तथा कोल्ड स्टोरेज भवन (पार्किंग सुविधा सहित) सम्मिलित होगा।
22. पशु चिकित्सालय एवं क्लीनिक।
23. राजस्व अभिलेखों में दर्ज आबादी क्षेत्र में निजी प्रयोजन हेतु आवास (अधिकतम भू–आच्छादन 90 वर्ग मीटर)।

(ख) नियंत्रक प्राधिकारी की अनुमति पर अनुमन्य उपयोग :

1. फार्म हाउस (न्यूनतम 2500 वर्ग मीटर क्षेत्र में अनुमन्य अधिकतम आच्छादन 1 प्रतिशत)।
2. कारवाँ पार्क।
3. तरणताल।
4. बस एवं ट्रक अवस्थान।
5. हैलीपैड एवं हवाई पट्टी।
6. विद्युत शक्ति प्लान्ट।
7. जलापूर्ति अधिष्ठान एवं जल शोधन संयंत्र।

Scanned with CamScanner

8. मौसम अनुसंधान केन्द्र, माइक्रोवेवे तथा वायरलेस स्टेशन।
9. कोयला, लकड़ी, टिम्बर यार्ड से सम्बन्धित थोक विक्रय मण्डी।
10. मिल्क फिलिंग प्लान्ट एवं पाश्चराईजिंग प्लान्ट।
11. गैस अधिष्ठान एवं गैस रिफिलिंग स्टेशन।
12. पेट्रोल/डीजल फिलिंग स्टेशन कम सर्विस स्टेशन।
13. संक्रामक बीमारियाँ एवं मानसिक रोगियों हेतु चिकित्सालय।
14. हाईस्कूल स्तर तक शिक्षा संस्थायें।
15. पशुधन संस्थायें प्रजनन केन्द्र/पशु चिकित्सालय।
16. पुलिस स्टेशन।
17. निरीक्षण भवन।
18. कृषि शोध केन्द्र, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र।
19. सांस्कृतिक भवन।
20. सार्वजनिक उपयोगिता के धार्मिक भवन तथा स्मारक।
21. समाधियों/कब्रिस्तान एवं शमशानघाट/विद्युत प्रदाह केन्द्र।
22. प्रदूषण रहित कुटीर/हल्के उद्योग (10 अश्वशक्ति तक)
23. कृषि पर आधारित उद्योग जैसा कि राईस रोलर, फ्लोर मिल, गुड़ एवं खाण्डसारी, शुगर मिल आदि।
24. शीघ्र नष्ट होने वाले, संकटग्रस्त एवं प्रज्जवलनशील वस्तुओं का भण्डार।
25. शूटिंग रेन्ज।
26. फ्लाईंग क्लब।
27. रेडियो/टेलीविजन केन्द्र।
28. शिविर स्थल।
29. सुधारालय/अनाथालय।
30. पशुवधशाला।
31. आश्रम (अधिकतम भू–तल आच्छादन 30 प्रतिशत), योग प्रशिक्षण केन्द्र।
32. सुरक्षा/कानून एवं व्यवस्था रखने से सम्बन्धित विकास तथा निर्माण जैसे पी0 ए0 सी0, पुलिस लाईन आदि।
33. ऐसे राजकीय विकास तथा निर्माण जो संवेदनशील सुरक्षा की दृष्टि से नगरीय क्षेत्र के बाहर होना आवश्यक है।
34. कारागार।
35. मोटल तथा वे–साईड रेस्टोरेन्ट (न्यूनतम 18 मीटर चौड़े पहुँच मार्ग पर)।
36. विशिष्ट शिक्षण संस्थायें जैसे– मेडिकल, तकनीकी तथा उच्च स्तरीय शिक्षण संस्थायें।

12.3.8 यातायात एवं परिवहन :

1. बस स्टैण्ड

(क) अनुमन्य उपयोग :

1. बस स्टैण्ड।
2. वाहन पार्किंग, टैक्सी स्टैण्ड।
3. यात्री प्रतीक्षालय।
4. कुली विश्राम शेड्स।
5. सामान उतारने–चढ़ाने के स्थल।
6. टिकटघर एवं आरक्षण कार्यालय।
7. रिपेयरिंग वर्कशाप।
8. जलपान गृह।
9. रैन बसेरा।
10. बुल स्टाल।

Scanned with CamScanner

(ख) नियंत्रक प्राधिकारी की अनुमति पर अनुमन्य उपयोग :

1. पेट्रोल पम्प।
2. पर्यटन एजेन्सियों के कार्यालय होटल।
3. जल विद्युत प्रदाय प्रतिष्ठान।
4. बस स्टैण्ड के अनुसांगिक उपयोग जो क्षेत्र के विकास हेतु आवश्यक हों तथा उपरोक्त किसी भी उपयोग के समतुल्य पाये जायें।

2. ट्रान्सपोर्ट नगर :

(क) अनुमन्य उपयोग :

1. ट्रक अवस्थान।
2. पेट्रोल/डीजल फिलिंग स्टेशन।
3. पुलिस स्टेशन, अग्निशमन।
4. भोजनालय/जलपान गृह।
5. धर्मकाँटा।
6. भण्डारण।
7. आढ़तों की दुकानें।
8. ट्रान्सपोर्ट एजेन्सी।
9. दूरभाष केन्द्र/पोस्ट ऑफिस।
10. बैंक, वित्तीय संस्थायें।
11. जलापूर्ति अधिष्ठान।
12. ऑटो पार्ट्स की दुकानें/वर्कशाप।
13. फुटकर दुकानें।
14. सुलभ शौचालय।
15. पार्क/पार्किंग।
16. सामान चढ़ाने व उतारने हेतु स्थल।
17. श्रमिक विश्राम गृह।
18. विद्युत केन्द्र।

(ख) नियंत्रक प्राधिकारी की अनुमति पर अनुमन्य उपयोग :

1. होटल।
2. कोल्ड स्टोरेज।
3. ट्रान्सपोर्ट नगर के अनुसांगिक उपयोग जो क्षेत्र के विकास हेतु आवश्यक हों तथा उपरोक्त किसी भी उपयोग के समतुल्य पाये जायें।

3. रेलवे भूमि :

रेवले से सम्बन्धित सभी तरह के निर्माण अनुमन्य होंगे जो कि भारत सरकार (रेलवे विभाग) द्वारा बनाये जायेंगे।

4. शमशान/कब्रिस्तान सीमेट्री :

शमशान घाट, कब्रिस्तान, सीमेट्री अनुमन्य होंगे। शेष सभी उपयोग निषिद्ध होंगे जो इस भू–उपयोग के विपरीत हों अथवा जिससे इस भू–उपयोग का संरक्षण बाधित होता हो।

Scanned with CamScanner

आवासीय क्षेत्र में अनुमन्य दैनिक उपयोगिताओं की दुकानों की सूची:

1. जनरल मर्चेन्ट
2. स्टेशनरी
3. हेयर कटिंग
4. पान–बीड़ी सिगरेट
5. सब्जी
6. मेडिकल स्टोर
7. मिठाई एवं पेय पदार्थ, दुग्ध विक्रय केन्द्र
8. सस्ते गल्ले की दुकान
9. टेलीफोन बूथ, प्राईवेट पी० सी० ओ०
10. रेडिमेड गारमेन्टस
11. सौन्दर्य प्रसाधन
12. टेलरिंग
13. घड़ी
14. कढ़ाई बुनाई एवं पेन्टिंग
15. केबिल टी० वी० स्टेशन, विडियो पार्लर

Scanned with CamScanner

आवासीय क्षेत्र में अनुमन्य सेवा उद्योगों की सूची

1. लान्ड्री–ड्राई क्लीनिंग
2. टी0 वी0, रेडियो आदि की सर्विसिंग तथा मरम्मत
3. दुग्ध उत्पाद, घी–मक्खन बनाना
4. मोटर साईकिल, स्कूटर, साइकिल आदि की मरम्मत
5. प्रिन्टिंग तथा बुक बाईंडिंग।
6. सोना तथा चाँदी का कार्य
7. कढ़ाई तथा बुनाई
8. टेलरिंग, बुटिक
9. बढ़ई कार्य, लोहार कार्य
10. घड़ी, पेन, चश्मे की मरम्मत
11. फोटो फ्रेमिंग
12. साइन बोर्ड बनाना
13. जूता मरम्मत
14. विद्युत उपकरण की मरम्मत

उपरोक्त सेवा उद्योग से सम्बन्धित भवन निर्माणों के लिए भूखण्ड क्षेत्रफल एवं सेटबैक आदि से सम्बन्धित नियम व्यावसायिक भवनों के लिए लागू नियमों के अनुसार अनुमन्य होंगे।

Scanned with CamScanner

व्यावसायिक क्षेत्रों में नियंत्रक प्राधिकारी की अनुमति से अनुमन्य प्रदूषण रहित उद्योगों की सूची :

1. आटा चक्की
2. चावल मिल
3. आइस बाक्स
4. दाल मिल
5. मूँगफली सुखाना
6. चिलिंग
7. सिलाई
8. सूती एवं ऊनी बुने वस्त्र
9. सिले वस्त्रों का उद्योग
10. हथकरघा
11. जूते का फीता तैयार करना
12. सोना तथा चाँदी का काम
13. सोना तथा चाँदी का तार एवं जरी का काम
14. चमड़े के जूते तथा अन्य चर्म उत्पाद, जिसमें चर्म शोधन सम्मिलित न हों।
15. शीशे की सीट से दर्पण तथा फोटो तैयार करना
16. संगीत वाद्य यंत्र तैयार करना
17. खेलों का सामान बनाना
18. बॉस एवं बैंत उत्पादन
19. कार्ड बोर्ड एवं कागज उत्पादन
20. इन्सुलेशन एवं अन्य कोटेड पेपर का उत्पादन
21. विज्ञान एवं गणित से सम्बन्धित यंत्र बनाना
22. स्टील एवं लकड़ी के साज–सज्जा का सामान
23. घरेलू विद्युत उपकरणों को तैयार करना
24. रेडियो बनाना
25. सर्जिकल पट्टियाँ बनाना
26. कलम, बालपेन बनाना
27. सूत कताई एवं बुनाई
28. रस्सियाँ बनाना
29. दरियाँ बनाना
30. कूलर तैयार करना
31. तार तथा पाईप ढलाई
32. वाहनों की सर्विस एवं मरम्मत
33. हार्डवेयर एवं प्लम्बर
34. साईकिल एवं अन्य बिना इंजन चालित वाहन तैयार करना
35. इलेक्ट्रानिक उपरकण तैयार करना
36. खिलौने बनाना
37. मोमबत्ती बनाना
38. आरा मशीन एवं इसके अतिरिक्त बढ़ई का कार्य
39. तेल निकालने का कार्य, शोधन के अतिरिक्त
40. आईसक्रीम बनाना
41. मिनरालाइज्ड वाटर
42. जाबिंग एवं मशीनिंग
43. लोहे के सन्दूक तथा सूटकेस
44. छपाई हेतु ब्लाक तैयार करना
45. पेपर पिन तथा यू क्लिप का उत्पादन
46. चश्में के फ्रेम तैयार करना

Scanned with CamScanner

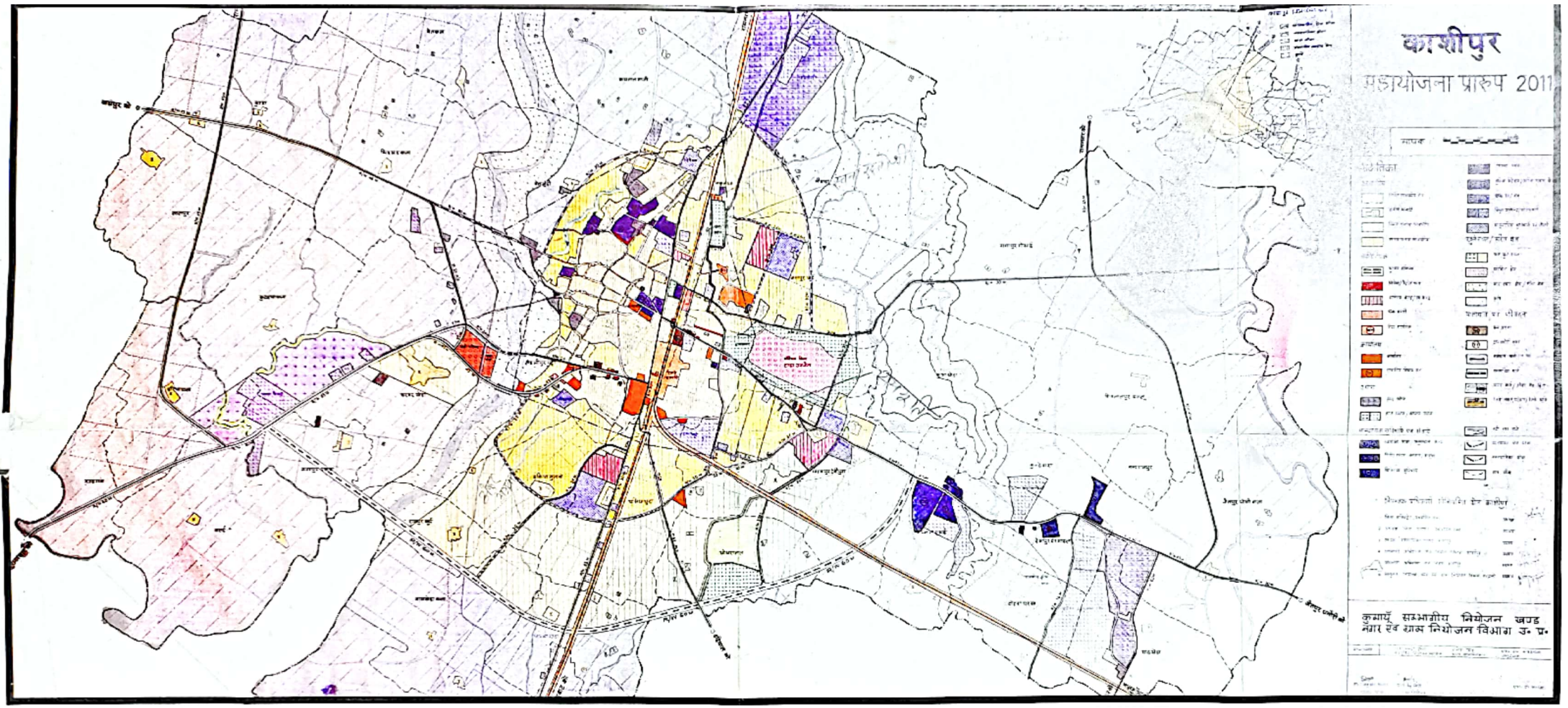

Scanned with CamScanner

काशीपुर
महायोजना प्रारूप
2011

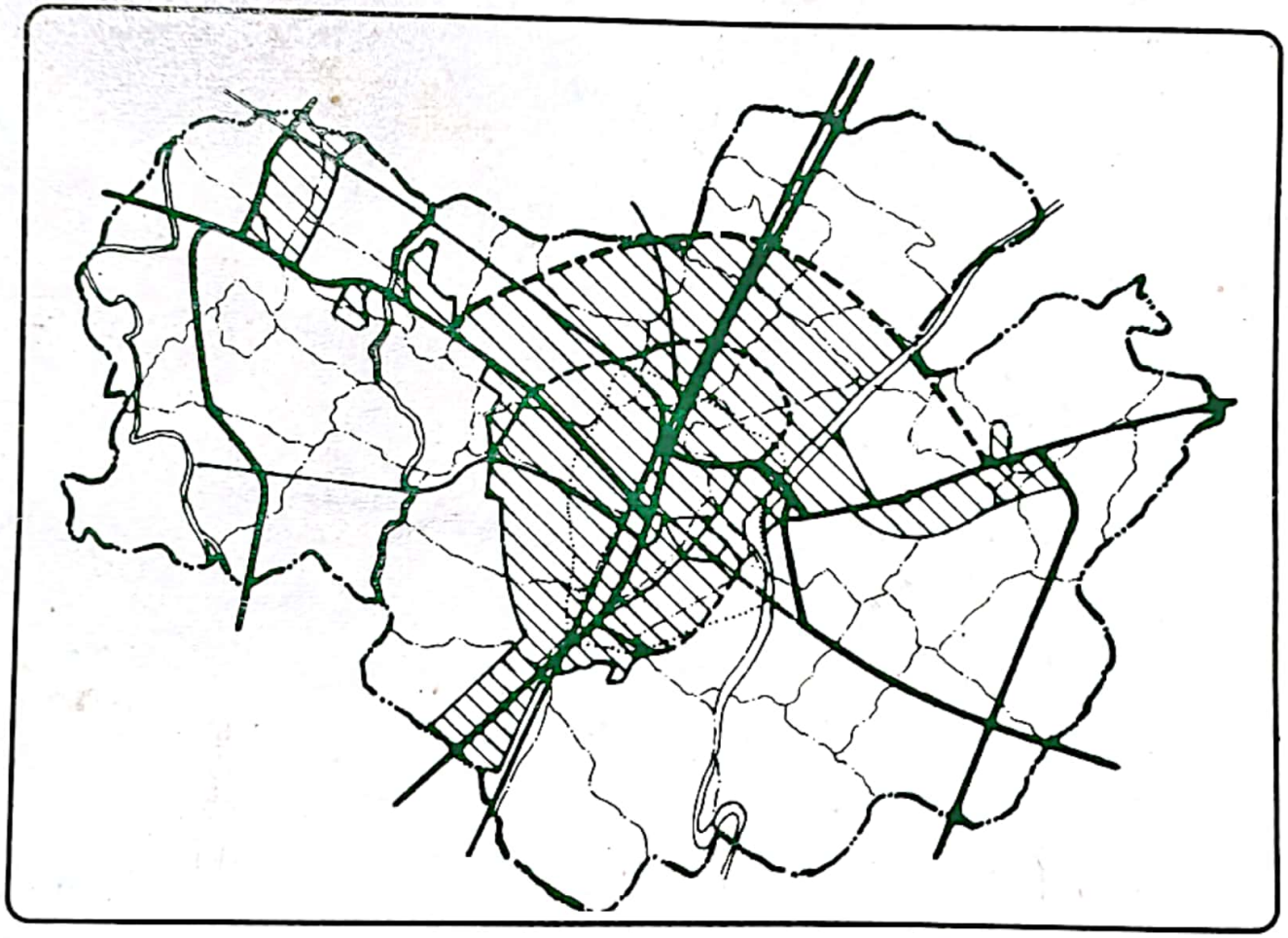

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराँचल

Scanned with CamScanner